अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों का सर्वेक्षण

3. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बिना अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का जलयात्रा पर अग्रसर न होना और सेवार्थ उपयोग में न लाया जाना ।

4. सर्वेक्षकों की नियुक्ति और सर्वेक्षण के स्थान ।

5. सर्वेक्षकों की शक्तियां ।

6. सर्वेक्षण के लिए फीस ।

7. सर्वेक्षक की घोषणा ।

8. स्वामी या मास्टर द्वारा राज्य सरकार को घोषणा का भेजा जाना ।

9. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या अनुदत्त करना प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

9क. अस्थायी परमिट ।

10. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का यंत्रचालित जलयान के सहजदृश्य भाग में लगाया जाना ।

10क. सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों का प्रभाव ।

11. सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों की अवधि ।

12. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का नवीकरण ।

13. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

14. अवसित या रद्द किए गए प्रमाणपत्र के परिदान की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

15. कतिपय प्रमाणपत्रों के निलम्बित या रद्द किए जाने की रिपोर्ट ।

16. दो सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण किए जाने का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति ।

17. द्वितीय सर्वेक्षण का आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति ।

18. जब दो सर्वेक्षक नियोजित हों, तब कर्तव्यों का विभाजन ।

19. सर्वेक्षणों के विषय में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

अध्याय 2क

अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

19क. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना जलयात्रा पर अग्रसर न होना और न सेवार्थ उपयोग में लाया जाना ।

19ख. रजिस्ट्री का स्थान और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ।

19ग. रजिस्ट्रीकरण पुस्तक ।

धाराएं

19घ. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

19ङ. रजिस्ट्रीकरण के स्थान ।

19च. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का अनुदान ।

19छ. [निरसित ।]

19ज. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों को चिह्नित किया जाना ।

19झ. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अन्तरण का प्रतिषेध ।

19ञ. परिवर्तनों का रजिस्ट्रीकरण ।

19ट. रजिस्ट्री का अंतरण ।

19ठ. निवास के या कारबार के स्थान में तब्दीली ।

19ड. रजिस्ट्रीकृत जलयान के स्वामित्व के अन्तरण का प्रतिषेध ।

19ढ. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों का निलम्बन ।

19ण. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना ।

19त. अपीलें ।

19थ. व्यतिकार ।

19थक. यंत्रचालित जलयान या शेयर का बंधक ।

19द. नियम बनाने की शक्ति ।

19ध. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन जारी किए गए कुछ प्रमाणपत्रों का इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य होना ।

अध्याय 3

अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के मास्टर (जिनके अन्तर्गत सारंग आते हैं) और इंजीनियर (जिनके अन्तर्गत इंजन ड्राइवर आते हैं)

20. परीक्षकों की नियुक्ति ।

21. मास्टरों, सारंगों, इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों के सक्षमता-प्रमाणपत्रों का अनुदान ।

22. मास्टरों, सारंगों, इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों के सेवा-प्रमाणपत्रों का अनुदान ।

22क. अनुज्ञप्तियां ।

23. प्रमाणपत्रों का दो प्रतियों में बनाया जाना ।

24. कुछ दशाओं में प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि का अनुदत्त किया जाना ।

25. एक सौ या अधिक अश्वशक्ति के जलयान के मास्टर और इंजीनियर द्वारा धारित किए जाने वाले प्रमाणपत्र ।

26. चालीस और एक सौ के बीच की अश्वशक्ति, जलयान के मास्टर और इंजीनियर द्वारा धारित किए जाने वाले प्रमाणपत्र ।

27. चालीस से कम अश्वशक्ति के जलयान के मास्टर और इंजीनियर द्वारा धारित किए जाने वाले प्रमाणपत्र ।

28. अन्य प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र धारण करने की मास्टर या इंजीनियर से अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

29. सक्षमता प्रमाणपत्रों के अनुदान के बारे में नियम बनाने में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

30. सेवा-प्रमाणपत्र के अनुदान के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

30क. अनुज्ञप्तियों के अनुदान के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

31. सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तियों का प्रभाव ।

धाराएं

अध्याय 4

अपघटनाओं का अन्वेषण

32. अपघटनाओं की रिपोर्ट निकटतम थाने को की जाना।

33. अन्वेषण-न्यायालय नियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति।

34. अक्षमता या अवचार के आरोपों की जांच करने की अन्वेषण-न्यायालय की शक्ति।

35. धारा 33 के अधीन से अन्यथा अन्वेषण का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति।

36. आरोपित व्यक्ति को सुना जाना।

37. असेसर।

38. साक्ष्य और कार्यवाहियों के विनियमन के बारे में न्यायालय की शक्तियां।

39. जलयानों में प्रवेश और उनके निरोध करके साक्षियों की गिरफ्तारी करवाने की न्यायालय की शक्ति।

40. विचारण के लिए सुपुर्द करने और साक्षियों को बन्धपत्रित करने की न्यायालय की शक्ति।

41. अनुपस्थित साक्षियों के अभिसाक्ष्य।

42. न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट।

43. असेसरों से स्वतंत्र रूप में न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाना।

44. यंत्रचालित जलयानों में विस्फोटों के कारणों का अन्वेषण करने का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 4क

नौ परिवहन में बाधाओं और तत्समान परिसंकटों को दूर करना

44क. नौ परिवहन आदि में अड़चन डालने वाले ध्वंस का निकालना या हटाना।

44ख. अन्तर्देशीय जल से बाध को हटाना।

44ग. हटाए जाने के व्ययों की वसूली।

44घ. विधिपूर्ण बाधा का हटाया जाना।

44ङ. सरकारी मूरिंग से भिड़ जाना।

अध्याय 5

इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्रों का निलम्बित और रद्द किया जाना

45. कुछ दशाओं में प्रमाणपत्रों को निलम्बित या रद्द करने की राज्य सरकार की शक्ति।

46. निलम्बित या रद्द किया गया प्रमाणपत्र परिदत्त करने की बाध्यता।

47. अन्य राज्य सरकार की रिपोर्ट।

48. निलम्बन या रद्दकरण को प्रतिसंहृत करने और नया प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 6

अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के यात्रियों का संरक्षण और वहन

49. खतरनाक माल को घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

50. खतरनाक माल का वहन।

51. खतरनाक माल को जलयान पर से फेंक देने की यंत्रचालित जलयान के स्वामी या मास्टर की शक्ति।

52. दुर्घनाओं से अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों की संरक्षा के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

धाराएं

53. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों में यात्रियों के वहन के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

54. यात्रियों के संरक्षण के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

54क. यात्री भाड़ों और माल भाड़ों की अधिकतम और न्यूनतम दरें नियत करने की राज्य सरकार की शक्ति।

54ख. सलाहकार समितियों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करने वाले नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 6क

यंत्रचालित जलयानों का पर-व्यक्ति जोखिम बीमा

54ग. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 134, अध्याय 10, 11 और 12 का यंत्रचालित जलयान के संबंध में लागू होना।

अध्याय 6कख

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा अंतर्देशीय जल संरक्षण

54घ. परिभाषाएं।

54ङ. अंतर्देशीय जल में तेल, तैलीय मिश्रण, आदि के निस्सारण के संबध में प्रतिषेध।

54च. अन्तर्देशीय पत्तन पर ग्रहण सुविधाएं, आदि।

54छ. प्रवेश, निरीक्षण आदि की शक्ति।

54ज. केन्द्रीय सरकार की प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 7

शास्तियां और विधिक कार्यवाहियां

55. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बिना जलयात्रा करने के लिए शास्ति।

56. अन्तर्देशीय वाष्प जलयान में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र लगाने में अपेक्षा के लिए शास्ति।

57. सर्वेक्षण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र परिदत्त करने या अभ्यर्पित करने की उपेक्षा या से इन्कार के लिए शास्ति।

58. जलयान के फलक पर अत्यधिक यात्री वहन करने के लिए शास्ति।

58क. जलयान के फलक पर स्थोरा की अत्यधिक मात्रा वहन करने के लिए शास्ति।

59. प्रमाणपत्र के बिना मास्टर या इंजीनियर के रूप में सेवा करने या किसी व्यक्ति को सेवार्थ नियोजित करने के लिए शास्ति।

60. ध्वंस या अपघटना की सूचना देने में असफल रहने वाले मास्टर के लिए शास्ति।

61. निलम्बित या रद्द किया गया प्रमाणपत्र परिदत्त करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

62. सूचना के बिना खतरनाक माल को अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के फलक पर वहन के लिए ले जाने या परिदत्त करने या निविदत्त करने के लिए शास्ति।

62क. दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड।

62ख. अबीमाकृत यंत्रचालित जलयान का उपयोग करने के लिए शास्ति।

62ग. बीमा के बारे में सूचना देने में या बीमा प्रमाणपत्र पेश करने में उपेक्षा या इन्कार करने के लिए शास्ति।

62घ. प्रदूषण से संबंधित अपराधों के लिए दंड।

62ङ. कंपनियों द्वारा अपराध।

63. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या जीवन या अंग को संकटापन्न करने वाले अवचार या उपेक्षा के लिए शास्ति।

63क. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति।

63ख. अनुशासन विरुद्ध साधारण अपराध।

63ग. शासकीय लाग बुक में अपराध की प्रविष्टि।

धाराएं

63घ. जिन अपराधों के लिए दण्ड अन्यथा उपबन्धित नहीं है उनके लिए साधारण उपबन्ध ।

64. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के करस्थम् द्वारा जुर्माने का उद्ग्रहण ।

65. मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता ।

66. विचारण का स्थान ।

अध्याय 8

अनुपूरक

67. साधारण नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

68. कुछ अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों को इस अधिनियम के लागू होने में उपान्तर करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

69. फीस से सरकारी जलयानों को छूट ।

70. ज्वारीय जल परिनिश्चित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

71. फीसों का जुर्मानों के तौर पर वसूलीय होना ।

72. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के प्रमाणपत्रित मास्टर का 1908 के अधिनियम 15 की धारा 31 के अधीन पायलट समझा जाना ।

72क. पाकिस्तान में अनुदत्त प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों का पृष्ठांकन ।

73. विद्युत या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित जलयानों को अधिनियम का लागू होना ।

74. नियमों का प्रकाशन ।

75. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची 1—फीसों की दरें ।

अनुसूची 2—[निरसित ।]

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917

(1917 का अधिनियम संख्यांक 1)[1]

[7 फरवरी, 1917]

[2][अंतर्देशीय जलयानों] से सम्बद्ध अधिनियमितियों का समेकन करने के लिए अधिनियम

यत: [3][अन्तर्देशीय जलयानों] से संबंधित अधिनियमितियों का समेकन करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम [4][अन्तर्देशीय जलयान] अधिनियम, 1917 कहा जा सकेगा।

[5][(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है :

[6]* * * * *

2. परिभाषाएं—[7][(1)] इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

[8][(क) "अन्तर्देशीय जलयान' या "अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान" से ऐसा यंत्रचालित जलयान अभिप्रेत है जो मामूली तौर पर किसी अन्तर्देशीय जल पर चलता है किन्तु इसके अंतर्गत मछली पकड़ने का जलयान और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) "अन्तर्देशीय जल" से अभिप्रेत है—

(i) किसी राज्य के भीतर कोई नहर, नदी, झील या अन्य नाव्य जल;

(ii) धारा 70 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित अन्तर्देशीय जल समझे गए किसी ज्वारीय जल का कोई क्षेत्र;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 3 के खंड (41) के अधीन शांत या अशंत: शांत सागर खंड के रूप में घोषित सागर खंड;

(ग) "यंत्रचालित जलयान" से प्रत्येक वर्णन का ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो पूर्णत: या भागत: विद्युत, वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित होता है, जिसके अंतर्गत ऐसे बिना पाल के जलयान भी हैं जो यंत्रचालित जलयान और बाहरी मोटर चालित जलयान द्वारा खींचे जाते हैं;]

[9][(घ)] "यात्री" के अंतर्गत [10][यंत्रचालित जलयान] में ले जाया जाने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो मास्टर और कर्मीदल तथा स्वामी, और उसके कुटुम्ब और सेवकों से भिन्न हो;

[9][(ङ)] "विहित" से इस अधिनियम के अधीन किसी नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

[11]* * * * *

---

[1] यह अधिनियम,—

(i) 1940 के बंगाल अधिनियम सं० 7 द्वारा बंगाल में संशोधित किया गया;

(ii) जून, 1917 को प्रवृत्त हुआ। देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1917, भाग 1, पृ० 988।

(iii) 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर लागू होने के लिए और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर लागू होने के लिए 1-10-1963 से विस्तारित किया गया।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा (1-5-1978 से) "अंतर्देशीय वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा (1-5-1978 से) "अंतर्देशीय वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 4 द्वारा (1-5-1978 से) "अंतर्देशीय वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा उपधारा (2) और (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।

[7] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा (1-5-1978 से) धारा 2 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित।

[8] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा (1-5-1978 से) खण्ड (2), (3), और (4) खण्ड (ख), (घ) और (ङ) के रूप में अक्षरांकित।

[10] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा "वाष्प जलयान' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[11] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा (1-5-1978 से) खंड (5) का लोप किया गया।

[1][(च)] “सर्वेक्षण” से इस अधिनियम के अधीन वाष्प जलयान का सर्वेक्षण अभिप्रेत है;

[1][(छ)] “सर्वेक्षक” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक अभिप्रेत है; तथा

[2][(छक) “ज्वारीय जल” का वही अर्थ है जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 3 के खंड (49) में है;]

[1][(ज)] “जलयात्रा” के अंतर्गत किसी स्थान पर या के आस-पास [3][यंत्रचालित जलयान] का चलना आता है ।

[4][(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में अंतर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के प्रति निर्देश है ।]

अध्याय 2

अन्तर्देशीय [5][यंत्रचालित जलयानों] का सर्वेक्षण

3. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बिना अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का जलयात्रा पर अग्रसर न होना और सेवार्थ उपयोग में न लाया जाना—(1) अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] तब के सिवाय न तो किसी भी जलयात्रा पर अग्रसर होगा और न किसी भी सेवा के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जब कि उसके पास ऐसा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र हो [6][जो चालन के लिए आशयित परिक्षेत्र में प्रवृत्त है और ऐसे परिक्षेत्र में ऐसी जलयात्रा या सेवा को लागू हो] ।

[7][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “परिक्षेत्र” से ऐसा कोई अन्तर्देशीय जलक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, अधिकतम प्रभावी लहर ऊंचाई मानदंड पर निर्भर रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।]

(2) इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी भी [3][यंत्रचालित जलयान] को लागू न होगी जो उस अन्तराल के दौरान जलयात्रा पर अग्रसर हो रहा है जो उस समय के जब उसके सर्वेक्षण-प्रमाणपत्र का अवसान होता है और उस समय के जब उस प्रमाणपत्र को नवीकृत कराना सर्वप्रथम साध्य होता है, बीच का है ।

4. सर्वेक्षकों की नियुक्ति और सर्वेक्षण के स्थान— (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) अपने प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों के अन्दर के ऐसे स्थानों को जिन्हें वह ठीक समझे, सर्वेक्षण के स्थान घोषित कर सकेगी, तथा

(ख) उक्त स्थानों में इतने व्यक्तियों को, जितने वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(2) हर सर्वेक्षक, अपने द्वारा किए गए किसी भी सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

5. सर्वेक्षकों की शक्तियां—(1) सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए, सर्वेक्षक, किसी युक्तियुक्त समय किसी भी अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर जा सकेगा और उस [1][यंत्रचालित जलयान] का, तथा उसके हर एक भाग का जिसके अन्तर्गत हल, बायलर, इंजन और अन्य मशीनरी आती है और उस जलयान के फलक पर के सब सज्जा और वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेगा :

परन्तु वह उस [3][यंत्रचालित जलयान] की लदाई और उतराई को अनावश्यकतया प्रतिबाधित न करेगा और न उसे किसी जलयात्रा पर अग्रसर होने में अनावश्यकतया निरुद्ध या विलम्बित करेगा ।

(2) [3][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी, मास्टर और उसके आफ़िसर, सर्वेक्षक को सर्वेक्षण के लिए सब युक्तियुक्त सुविधाएं और [3][यंत्रचालित जलयान] और उसकी मशीनरी या मशीनरी के किसी भाग और जलयान के फलक पर के सब सज्जा और वस्तुओं के बारे में ऐसी सब जानकारी देंगे जैसी सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए वह अपेक्षित करे ।

6. सर्वेक्षण के लिए फीस—सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व, [3][यंत्रचालित जलयान] का, जिसका सर्वेक्षण किया जाना है, स्वामी या मास्टर, उस आफिसर को, जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे—

(क) अनुसूची 1 में वर्णित दरों के अनुसार या किन्हीं अन्य विहित दरों के अनुसार [3][यंत्रचालित जलयान] के टनधारिता पर संगणित फीस देगा, और

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा (1-5-1978 से) खंड 6, खण्ड (7) और खंड (8) को खंड (च), (छ) और (ज) के रूप में अक्षरांकित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) “वाष्प जलयान” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) “वाष्प जलयानों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) जब सर्वेक्षण कलकत्ता, मद्रास, [1][या मुम्बई] से भिन्न सर्वेक्षण के किसी स्थान में किया जाना है, तब उस स्थान तक सर्वेक्षक की यात्रा के व्यय की (यदि कोई हो) बाबत ऐसी अतिरिक्त फ़ीस देगा जैसी कि राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करे ।

7. सर्वेक्षक की घोषणा—जब [2][यंत्रचालित जलयान] का सर्वेक्षण पूरा हो जाए, तब यदि उसे करने वाले सर्वेक्षक का समाधान हो जाए कि—

(क) [2][यंत्रचालित जलयान] का हल, बायलर, इंजन और अन्य मशीनरी आशयित जलयात्रा या सेवा के लिए पर्याप्त और अच्छी दशा में है, तथा

(ख) [2][यंत्रचालित जलयान] के सज्जा और मास्टर और इंजीनियर के प्रमाणपत्र ऐसे और ऐसी दशा में हैं जैसे कि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा, जो [2][यंत्रचालित जलयान] को लागू हो, अपेक्षित है,

तो सर्वेक्षक, तत्क्षण स्वामी या मास्टर को विहित प्ररूप में ऐसी घोषणा देगा जिसमें खण्ड (क) और (ख) में वर्णित विशिष्टियां और निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(i) वह समय (यदि एक वर्ष से कम हो) जिसके लिए [2][यंत्रचालित जलयान] के हल, बायलर, इंजन और अन्य मशीनरी और सज्जा पर्याप्त होंगे,

(ii) वह परिसीमा (यदि कोई हो) जिसके परे सर्वेक्षक के निर्णय में जहां तक कि हल, बायलर, इंजन और अन्य मशीनरी या सज्जा का सम्बन्ध है वह [2][यंत्रचालित जलयान] चलने के योग्य न हो,

(iii) यात्रियों की संख्या (यदि कोई हो) जिन्हें ले जाने के लिए सर्वेक्षक के निर्णय में वह [2][यंत्रचालित जलयान] योग्य हो, यदि आवश्यक हो तो क्रमश: डेक पर और केबिनों में और डेक और केबिनों के विभिन्न भागों में ले जाई जाने वाली अलग-अलग संख्याएं विनिर्दिष्ट होंगी । यह संख्या ऋतु, जलयात्रा की प्रकृति, वहन किए गए स्थोरा या अन्य परिस्थितियों के अनुसार, ऐसी शर्तों और फेरफारों के अध्यधीन होंगी, जो उस दशा में अपेक्षित हो, [3]***

[4][(iiiक) उस स्थोरा की प्रकृति और मात्रा जिसे सर्वेक्षक के निर्णय में वह यंत्रचालित जलयान ले जाने के लिए योग्य हो; और

(iv) कोई अन्य विहित विशिष्टियां ।]

8. स्वामी या मास्टर द्वारा राज्य सरकार को घोषणा का भेजा जाना—(1) [2][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी या मास्टर, जिसे धारा 7 के अधीन घोषणा दी जाती है, उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अन्दर उस घोषणा को ऐसे आफिसर को भेजेगा, जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे ।

(2) यदि कोई स्वामी या मास्टर, उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित घोषणा भेजने में असफल रहे, तो जिस दौरान घोषणा के भेजने में विलम्ब हुआ हो उसके प्रतिदिन के लिए पांच रुपए से अनधिक राशि उससे समपहृत हो जाएगी ।

9. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या अनुदत्त करना प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि धारा 8 के अधीन भेजी गई घोषणा के बारे में इस अधिनियम के सब उपबन्धों का अनुपालन किया जा चुका है, तो वह—

(क) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, दो प्रतियों में तैयार कराएगी, तथा

(ख) उसकी सूचना उस [2][यंत्रचालित जलयान] के स्वामी या मास्टर को, जिससे प्रमाणपत्र सम्बन्धित है, डाक द्वारा या अन्यथा भिजवाएगी ।

(2) सर्वेक्षण के स्थान पर ऐसे आफिसर को, जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, स्वामी या मास्टर द्वारा किए गए आवेदन पर और उससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन समपहृत की गई राशि, यदि कोई हो (जिसकी वास्तविक रकम तद्द्वारा नियत परिसीमा के अन्दर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी), स्वामी या मास्टर द्वारा उस आफिसर को संदत्त किए जाने पर, दो प्रतियों वाला वह प्रमाणपत्र जो इस प्रकार तैयार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा स्वामी या मास्टर को अनुदत्त किया जाएगा और ऐसे आफिसर की मार्फत उसे दिया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में होगा, उसमें इस आशय का कथन अन्तर्विष्ट होगा कि [2][यंत्रचालित जलयान] के सर्वेक्षण और सर्वेक्षण की घोषणा के बारे में इस अधिनियम के सब उपबन्धों का अनुपालन हो चुका है, और उसमें निम्नलिखित उपवर्णित होंगी—

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुम्बई या रंगून" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 7 द्वारा (1-5-1978 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 7 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

(क) धारा 7 के खण्ड (i), (ii) और (iii) द्वारा यथापेक्षित सर्वेक्षण की घोषणा में वर्णित [1][यंत्रचालित जलयान] से सम्पृक्त विशिष्टियां, तथा

(ख) कोई अन्य विहित विशिष्टियां ।

(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार को समनुदिष्ट सब कृत्यों को या उनमें से किसी को भी राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगी :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन कोई प्रत्यायोजन ऐसे नहीं किया जाएगा, कि वह उस सर्वेक्षक द्वारा, जिसने धारा 7 के अधीन सर्वेक्षण की घोषणा की थी, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जाना प्राधिकृत करे ।

[2][**9क. अस्थायी परमिट**—सर्वेक्षक, जिसने सर्वेक्षण किया है, धारा 9 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लंबित रहने तक अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को, जल यात्रा पर जाने या सेवा में उपयोग के लिए प्राधिकृत करने के लिए ऐसी अवधि तक, जो किसी भी दशा में पैंतालीस दिन से अधिक की नहीं होगी, प्रभावी रहने वाला परमिट अस्थायी रूप से अनुदत्त कर सकेगा ।]

10. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का यंत्रचालित जलयान के सहजदृश्य भाग में लगाया जाना—ऐसे हर [1][यंत्रचालित जलयान] का जिसके लिए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया हो, स्वामी या मास्टर, प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर तत्क्षण, उसकी दो प्रतियों में से एक प्रति, [1][यंत्रचालित जलयान] के किसी सहजदृश्य भाग पर जहां कि वह फलक पर के सब व्यक्तियों द्वारा सुगमता से पढ़ी जा सके, लगवाएगा, और तब तक लगवाए रखेगा, जब तक कि वह प्रवृत्त रहे और [1][यंत्रचालित जलयान] उपयोग में रहे ।

[3][**10क. सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों का प्रभाव**—सर्वेक्षण प्रमाणपत्र उस सारे राज्य में प्रभावी होगा, जिसमें वह अनुदत्त किया गया था :

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र उसे अनुदत्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य राज्य की राज्य सरकार द्वारा या उस अन्य राज्य की साधारण या विशेष मंजूरी से ऐसे पृष्ठांकित किया जा सकेगा, कि वह उस अन्य राज्य या उसके किसी भाग में प्रभावी हो, और यदि इस प्रकार पृष्ठांकित हुआ हो, तो वह तदनुसार प्रभावी होगा ।]

11. सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों की अवधि—सर्वेक्षण प्रमाणपत्र—

(क) अपनी तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात्; अथवा

(ख) वह कालावधि जिसके लिए उस [1][यंत्रचालित जलयान] के, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, हल, बायलर, इंजन या अन्य मशीनरी या किसी भी सज्जा का पर्याप्त होना प्रमाणपत्र में कथित है (यदि एक वर्ष से कम की है) तो उनके अवसान के पश्चात्; अथवा

(ग) [4][उस राज्य की, जिसमें यह अनुदत्त किया गया था, राज्य सरकार द्वारा] उस [1][यंत्रचालित जलयान] के स्वामी या मास्टर को यह सूचना दी जाने के पश्चात् कि उस राज्य सरकार ने उसे रद्द या निलम्बित कर दिया है,

[3][किसी भी राज्य में] प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

[3][कोई सर्वेक्षण प्रमाणपत्र किसी राज्य की राज्य सरकार द्वारा] [5][यंत्रचालित जलयान] के स्वामी या मास्टर को दी गई इस सूचना के पश्चात्, कि उस राज्य के बारे में दिया गया पृष्ठांकन रद्द या निलम्बित कर दिया गया है, उस पृष्ठांकन के आधार पर उस राज्य में प्रवृत्त न रहेगा ।]

12. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का नवीकरण—सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् उसका नवीकरण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार वहां तक के सिवाय जहां तक उसमें कोई शिथिलीकरण विहित किया जाए उस [5][यंत्रचालित जलयान] का, जिससे वह प्रमाणपत्र संबंधित है, नया सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

13. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द करने की राज्य सरकार की शक्ति—[6][सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या उस पर धारा 10क के अधीन किया गया कोई भी पृष्ठांकन, यथास्थिति, उस राज्य की सरकार द्वारा, जिसमें प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था या जिसके बारे में पृष्ठांकन किया गया था निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा, यदि उस सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो],—

(क) कि सर्वेक्षक द्वारा [5][यंत्रचालित जलयान] के हल, बायलर, इंजन या अन्य मशीनरी या सज्जा में से किसी की पर्याप्तता और अच्छी दशा की घोषणा कपटपूर्वक या गलती से की गई है, अथवा

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "किसी स्थानीय सरकार द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) क्रमश: "वाष्प जलयान" और "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) कि प्रमाणपत्र अन्यथा मिथ्या या गलत जानकारी पर अनुदत्त किया गया है, अथवा

(ग) कि घोषणा की जाने के पश्चात् [1][यंत्रचालित जलयान] के हल, बायलरों, इंजनों या अन्य मशीनरियों या किसी सज्जा को कोई तात्त्विक क्षति हुई है या वे अन्यथा अपर्याप्त हो गए हैं।

14. अवसित या रद्द किए गए प्रमाणपत्र के परिदान की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा कोई सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, जिसका अवसान हो चुका है, या जो निलम्बित या रद्द कर दिया गया है, ऐसे आफिसर को, जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, परिदत्त किया जाए।

[2][जहां कि किसी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर किसी राज्य के लिए किया गया पृष्ठांकन निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो, वहां उस राज्य की सरकार सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को ऐसे आफिसर को, जिसे वह सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, इसलिए परिदत्त किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी, कि पृष्ठांकन के निलम्बित या रद्द किए जाने की विशिष्टियां प्रमाणपत्र पर टीपी जा सकें।]

15. कतिपय प्रमाणपत्रों के निलम्बित या रद्द किए जाने की रिपोर्ट—[2][यदि राज्य सरकार, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर धारा 10क के अधीन किए गए पृष्ठांकन को निलम्बित या रद्द कर दे तो वह] ऐसे निलम्बित या रद्द किए जाने के तथ्य की उसके लिए कारणों सहित उस राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी, जिसने (या जिसके प्रत्यायुक्त ने) वह प्रमाणपत्र अनुदत्त किया था।

16. दो सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण किए जाने का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति—सर्वेक्षण, मामूली तौर पर एक सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा, किन्तु यदि राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, या साधारणत: सर्वेक्षण के किसी स्थान पर के सब [1][यंत्रचालित जलयानों] की दशा में या विशेषत: ऐसे किसी स्थान पर के विशिष्ट [1][यंत्रचालित जलयानों] की या [1][यंत्रचालित जलयानों] के किसी विशिष्ट वर्ग की दशा में वैसा निदेश दे तो दो सर्वेक्षक नियुक्त किए जा सकेंगे।

17. द्वितीय सर्वेक्षण का आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) यदि किसी [1][यंत्रचालित जलयान] का सर्वेक्षण करने वाला सर्वेक्षक [1][यंत्रचालित जलयान] के बारे में धारा 7 के अधीन घोषणा देने से इन्कार करता है, या ऐसी घोषणा देता है, जिससे [1][यंत्रचालित जलयन] का स्वामी या मास्टर असंतुष्ट हो तो राज्य सरकार, स्वामी या मास्टर के आवेदन पर और पूर्वतन सर्वेक्षण की बाबत संदेय फीस की दुगुनी रकम से अनधिक ऐसी फीस के, जैसी राज्य सरकार अपेक्षित करे, उसके द्वारा संदत्त की जाने पर दो अन्य सर्वेक्षकों को [1][यंत्रचालित जलयान] का सर्वेक्षण करने का निदेश दे सकेगी।

(2) इस प्रकार निदिष्ट सर्वेक्षक [1][यंत्रचालित जलयान] का सर्वेक्षण तत्क्षण करेंगे, और सर्वेक्षण के पश्चात् या तो घोषणा देने से इन्कार कर सकेंगे या ऐसी घोषणा दे सकेंगे जो उन्हें उन परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई भी घोषणा या कोई भी घोषणापत्र देने से इन्कार अन्तिम होगा।

18. जब दो सर्वेक्षक नियोजित हों, तब कर्तव्यों का विभाजन—जब सर्वेक्षण धारा 16 या धारा 17 के अधीन दो सर्वेक्षकों द्वारा किया जाए, तब सर्वेक्षकों में से हर एक उन कर्तव्यों के विहित प्रभाग का पालन करेगा जो सर्वेक्षक को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन समनुदिष्ट हों।

19. सर्वेक्षणों के विषय में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार [3]*** सर्वेक्षणों का किया जाना विनियमित करने के नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम विहित कर सकेंगे—

(क) वे समय और स्थान जिनमें और वह रीति जिसमें सर्वेक्षण किए जाने हैं,

(ख) सर्वेक्षण करने वाले सर्वेक्षक के कर्तव्य और जहां दो सर्वेक्षक नियोजित हों वहां हर एक ऐसे सर्वेक्षक के अपने-अपने कर्तव्य,

(ग) वह प्ररूप जिसमें सर्वेक्षण की घोषणाएं और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र विरचित किए जाने हैं और धारा 7 और 9 के अधीन उनमें कथित की जाने वाली विशिष्टियों के स्वरूप,

(घ) अनुसूची 1 में वर्णित दरों से भिन्न वे दरें जिनके अनुसार उसके प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों के अन्दर सब या किन्हीं सर्वेक्षण स्थानों की दशा में सर्वेक्षणों के संबंध में संदेय फीसों की संगणना की जानी है, और

(ङ) वे दशाएं जिनमें और वह विस्तार जिस तक नए प्रमाणपत्र के अनुदान से पूर्व सर्वेक्षण का किया जाना अभिमुक्त किया जा सकेगा।

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) क्रमश: "वाष्प जलयान" और "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा और अनुसूची 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्दों का लोप किया गया।

[1][अध्याय 2क

अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयानों] का रजिस्ट्रीकरण

19क. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना जलयात्रा पर अग्रसर न होना और न सेवार्थ उपयोग में लाया जाना—अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] तब के सिवाय किसी भी जलयात्रा पर अग्रसर न होगा और न किसी सेवा के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जब कि उसके पास उसके बारे में प्रवृत्त और इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है ।

(2) इस धारा की कोई भी बात—

(क) रजिस्ट्री के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर, निर्मित और रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्थान के लिए अपनी पहली जलयात्रा करने वाले किसी भी [2][यंत्रचालित जलयान] को लागू, अथवा

(ख) धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अल्पीकरण में,

नहीं होगी ।

19ख. रजिस्ट्री का स्थान और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) अपने प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों के अन्दर के ऐसे स्थानों को, जिन्हें वह ठीक समझे, रजिस्ट्री के स्थान घोषित कर सकेगी, तथा

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त स्थानों पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के रूप में नियुक्त हर व्यक्ति, अपने द्वारा किए गए किसी भी रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के अन्दर, लोक सेवक समझा जाएगा ।

19ग. रजिस्ट्रीकरण पुस्तक—रजिस्ट्री के हर स्थान में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा एक पुस्तक रखी जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्ररूप में अन्तर्विष्ट सब विशिष्टियां सम्यक् रूप से प्रविष्ट की जाएंगी और; रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] को रजिस्ट्रीकृत करने के तुरन्त पश्चात् या अधिक से अधिक एक मास के अन्दर, हर प्रमाणपत्र के, जो उसके द्वारा इस प्रकार अनुदत्त किया जाएगा, संख्या सहित एक सही और यथार्थ प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

19घ. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—अंतर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए और उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जैसी विहित की जाएं, और जलयान के बारे में दिए गए प्रवृत्त सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की प्रति उसके साथ होगी ।

19ङ. रजिस्ट्रीकरण के स्थान—(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए हर आवेदन उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को दिया जाएगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी मामूली तौर पर निवास करता हो या कारबार चलाता हो ।

(2) जहां कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला स्वामी [3][कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के अन्तर्गत] कम्पनी हो, वहां आवेदन उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को दिया जा सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कम्पनी का मुख्य कार्यालय स्थित हो ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, चाहे स्वामी उस राज्य में मामूली तौर पर निवास न करता हो और न कारबार चलाता हो, या कम्पनी की दशा में कम्पनी का कारबार का मुख्य स्थान उस राज्य में स्थित न हो :

परन्तु यह तब जब कि उस राज्य की सरकार ने, जिसमें स्वामी मामूली तौर पर निवास करता हो या कारबार चलाता हो, या कम्पनी की दशा में, जहां कम्पनी का कारबार का मुख्य स्थान स्थित हो, उसके लिए अपना पूर्व अनुमोदन दे दिया हो ।

19च. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का अनुदान—(1) यदि किसी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] के बारे में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझे, समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का अनुपालन हो गया है, तो वह उसके लिए आवेदक को ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित फीस के संदाय पर देगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं ।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा, यदि उसमें यांत्रिक त्रुटि पाई जाए, या आवेदक अपने आवेदन में किए गए कथनों में से किसी के समर्थन में समाधानप्रद साक्ष्य देने में असफल रहे :

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) क्रमश: "वाष्प जलयानों" और "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 8 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु जहां कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करे, वहां वह आवेदक को ऐसा लिखित कथन देगा जिसमें ऐसे इन्कार के कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

19छ. [मर्चेंट शिपिंग ऐक्टों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय वाष्प जलयानों का स्वत: रजिस्ट्रीकरण ।]—अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 35) की धारा 9 द्वारा (1-5-1978 से) निरसित ।

19ज. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों को चिह्नित किया जाना—जहां कि अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जलयान को, उस पर विहित रीति में सहजदृश्य रूप में संप्रदर्शित किए जाने के लिए एक सुभेदक चिह्न समनुदिष्ट करेगा, जिसे एतस्मिन्पश्चात् इस अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण चिह्न के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ।

19झ. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अन्तरण का प्रतिषेध—(1) किसी अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के बारे में अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र केवल उसी जलयान के विधिपूर्ण नौपरिवहन के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

(2) किसी एक राज्य में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के बारे में दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र केवल उसी राज्य के लिए विधिमान्य होगा, किन्तु जहां कि ऐसा [2][जलयान किसी अन्य राज्य के अन्तर्देशीय जलों में] चलता हो, वहां इस धारा की कोई भी बात उस जलयान के स्वामी या मास्टर से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह उस राज्य या राज्यों के सम्बन्ध में जिसमें या जिनमें जलयान इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न हो, नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करे :

[3]* * * * *

[4][(3) जब किसी एक राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान किसी अन्य राज्य में [5][छत्तीस मास] से अधिक की कालावधि के लिए रखा गया है, तो जलयान का स्वामी या यंत्र मास्टर उस स्थान के, जहां कि जलयान रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से, रजिस्ट्री के अन्तरण के लिए उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में उस समय जलयान है, धारा 19ट के अधीन आवेदन करेगा ।]

19ञ. परिवर्तनों का रजिस्ट्रीकरण—(1) जब कोई [1][यंत्रचालित जलयान] इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाए कि वह अपने से संबंधित विशिष्टियों या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट वर्णन के समरूप न रहे, तो उस जलयान का स्वामी ऐसी कालावधि के अन्दर, जैसी विहित की जाए, ऐसे परिवर्तन की रिपोर्ट उस स्थान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जहां वह जलयान रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में की जाएगी और परिवर्तन के बारे में ऐसी विशिष्टियां उसमें अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं और उसके साथ रिपोर्ट के समय उस जलयान के बारे में प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र होगा ।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर और विहित फीस के संदत्त किए जाने पर, या तो परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत कराएगा या यह निदेश देगा कि जलयान नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत कराया जाए :

परन्तु जहां कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यह निदेश दे कि जलयान नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत कराया जाए वहां वह या तो यथा परिवर्तित जलयान का वर्णन देते हुए अनन्तिम प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा या परिवर्तन की विशिष्टियां वर्तमान प्रमाणपत्र में अनन्तिम रूप से पृष्ठांकित करेगा ।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन अनुदत्त कोई भी अनन्तिम प्रमाणपत्र या किया गया पृष्ठांकन, अपनी तारीख से एक मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जिस कालावधि के अन्दर स्वामी जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए सब आवश्यक कदम उठवाएगा ।

19ट. रजिस्ट्री का अंतरण—(1) अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] की रजिस्ट्री का किसी एक राज्य में के एक स्थान से किसी अन्य राज्य में के किसी अन्य स्थान को अंतरण [6][उस राज्य के जिसमें कि जलयान रखा हुआ है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को] जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी सूचना [6][उस स्थान के जहां कि जलयान रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को] पारेषित करेगा ।

[7][(3) उस जलयान के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ उस स्थान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को परिदत्त किया जाएगा जहां रजिस्ट्री कराने का आशय है ।

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 10 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 10 द्वारा (1-5-1978 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 10 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 11 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 11 द्वारा (1-5-1978 से) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की और विहित फीस की, यदि कोई हो, प्राप्ति पर, उस स्थान का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जहां रजिस्ट्री कराने का आशय है, जलयान से संबंधित सब विशिष्टियां अपनी रजिस्टर पुस्तक में प्रविष्ट करेगा और उस जलयान के बारे में नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा, और तब से ऐसा जलयान रजिस्ट्री के नए स्थान में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा ।]

(5) राज्य सरकार धारा 19द के अधीन उस अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के जो राज्य में रजिस्ट्रकृत नहीं है और जो राज्य में लाया गया है या तत्समय है, स्वामी या मास्टर से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि वह यंत्रचालित जलयान या उसके रजिस्ट्रीकरण की बाबत राज्य में विहित प्राधिकारी को ऐसी जानकारी दे जैसी विहित की जाए ।

19ठ. निवास के या कारबार के स्थान में तब्दीली—(1) यदि किसी अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी जलयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते पर निवास या कारबार करना छोड़ दे तो वह पते में तब्दीली के तीस दिन के अन्दर अपना नया पता, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, या यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के अन्दर है, तो उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रज्ञापित करेगा, और उसी समय रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को इसलिए भेजेगा कि नया पता उसमें प्रविष्ट कर दिया जाए ।

(2) जहां कि मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कोई ऐसी प्रविष्टि करे वहां वह नए पते की प्रज्ञापना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा ।

19ड. रजिस्ट्रीकृत जलयान के स्वामित्व के अन्तरण का प्रतिषेध—(1) किसी एक राज्य में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] का अन्तरण भारत के किसी अन्य राज्य में या भारत के बाहर किसी देश में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को उस राज्य की सरकार के, जिसमें वह जलयान रजिस्ट्रीकृत है, पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां कि अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] [2][वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझा गया है] वहां यह उपधारा ऐसे प्रभाव रखेगी मानो "उस राज्य की सरकार के जिसमें वह जलयान रजिस्ट्रीकृत है" शब्दों के स्थान में "केन्द्रीय सरकार के" शब्द रख दिए गए हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी और उसका अन्तरिती, उक्त जलयान के स्वामित्व का अन्तरण अन्तरिती को किए जाने के तीस दिन के अन्दर, उस अन्तरण की रिपोर्ट संयुक्तत: उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को करेंगे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर अन्तरिती निवास करता है या कारबार करता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी विहित फीस के साथ उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को इसलिए भेजेंगे कि स्वामित्व के अन्तरण की विशिष्टियां उसमें प्रविष्ट की जा सकें ।

19ढ. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों का निलम्बन—(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह ठीक समझे, निलम्बित कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रमाणपत्र के अनुदत्त करने के पश्चात् जलयान अन्तर्देशीय जलों में चलने के अयोग्य हो गया है ।

(2) जहां कि अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (1) के अधीन एक मास से अन्यून कालावधि के लिए निलम्बित किया जाए वहां यदि निलम्बन का आदेश देने वाला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी न हो तो वह उस अन्य प्राधिकारी को ऐसे निलम्बन के तथ्य की इत्तिला देगा ।

(3) प्रमाणपत्र का निलम्बन करने वाला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जलयान के स्वामी या मास्टर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार निलम्बित प्रमाणपत्र स्वयं उसे, या यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी न हो तो वह उस अन्य प्राधिकारी को परिदत्त कर दे ।

(4) इस धारा के अधीन अभ्यर्पित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्वामी को तब लौटा दिया जाएगा जब प्रमाणपत्र को निलम्बित करने वाला आदेश विखंडित कर दिया गया हो या प्रवृत्त न रह गया हो ।

19ण. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना—(1) यदि अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] विनष्ट कर दिया गया हो या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य कर दिया गया हो, तो जलयान का स्वामी यथासाध्य न्यूनतम विलम्ब से उस तथ्य की रिपोर्ट उस स्थान के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को करेगा जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत है, और रिपोर्ट के साथ जलयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी उस प्राधिकारी को भेजेगा और तदुपरि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कराएगा ।

(2) कोई भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी भी समय अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर के किसी भी अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] का ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाए, जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, और यदि ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि जलयान ऐसी दशा में है, कि वह किसी अन्तर्देशीय जल में चलने के योग्य नहीं है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस जलयान के स्वामी

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 11 द्वारा (1-5-1978 से) "कतिपय शब्दों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) क्रमश: "वाष्प जलयान" और "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस जलयान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और उसके स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा, कि वह उस जलयान विषयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को, यदि वह पहले ही ऐसे अभ्यर्पित न कर दिया गया हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को तत्क्षण अभ्यर्पित कर दे ।

19त. अपीलें—(1) जो कोई व्यक्ति—

(क) धारा 19च के अधीन अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने वाले आदेश से, अथवा

(ख) धारा 19ढ के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलम्बित करने वाले आदेश से, अथवा

(ग) धारा 19ण की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने वाले आदेश से,

व्यथित हो वह उस तारीख से, जिसको उसे ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त हो, तीस दिन के अन्दर, उसके विरुद्ध राज्य सरकार से अपील कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार हर ऐसी अपील की सूचना, सम्पृक्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति से दिलवाएगी, जैसी विहित की जाए और उस प्राधिकारी को और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित करेगी, जैसा वह ठीक समझे ।

19थ. व्यतिकार—जहां कि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] भारत के बाहर के किसी देश की विधि का परिपाटी द्वारा—

(क) उस दौरान जब वे उसके अन्तर्देशीय जलों में चल रहे हों, उस देश में कोई विशेष छूट, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के कारण अभिप्राप्त करते हैं, अथवा

(ख) उस देश के अन्तर्देशीय जलों में चलने की शर्त के रूप में किसी विशेष अपेक्षा का, चाहे वह नए रजिस्ट्रीकरण की, या के संदाय की या अन्य प्रकार की हो अनुपालन करने के लिए अपेक्षित है,

वहां केन्द्रीय सरकार व्यतिकार के प्रयोजनों के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उस देश में रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] को या पर, जब वे उन राज्यक्षेत्रों के अन्तर्देशीय जलों में चल रहे हों जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, वही छूट या अपेक्षा अथवा यथाशक्य वैसी ही छूट या अपेक्षा अनुदत्त या अधिरोपित की जाए ।

[2][**19थक. यंत्रचालित जलयान या शेयर का बंधक**—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53 के उपबन्ध यंत्रचालित जलयान के बंधक के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए पोतों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) धारा 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53 में "पोत", "रजिस्ट्रार" और "रजिस्टर पुस्तक" के प्रति निर्देशों का जहां भी वे आते हैं, क्रमश: यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "यंत्रचालित जलयान", "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" और "रजिस्ट्रीकरण पुस्तक" के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा 47 की उपधारा (1) में "रजिस्ट्री के पोत के पत्तन का रजिस्ट्रार इसे अपनी रजिस्टर पुस्तक में अभिलिखित करेगा" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी इसे रजिस्ट्रीकरण पुस्तक में अभिलिखित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।]

19द. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं विहित कर सकेंगे;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों के प्ररूप और वे विशिष्टियां जो उनमें अन्तर्विष्ट की जानी हों विहित कर सकेंगे;

(ग) उस प्ररूप और रीति का उपबन्ध कर सकेंगे, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की पुस्तकें, इस अध्याय के अधीन रखी जाएंगी;

(घ) खोए, विनष्ट या विकृत प्रमाणपत्रों के स्थान पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रतियां देने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) क्रमश: "वाष्प जलयान" और "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 13 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

(ङ) अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के लिए प्रभार्य फीसें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए विहित कर सकेंगे, और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी पूरी फीस के या उसके किसी भाग के संदाय से छूट देने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(च) वह कालावधि जिसके अन्दर और वह रीति जिसमें किसी अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी धारा 19ञ के अधीन जलयान में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट देगा, विहित कर सकेंगे;

[2][(चक) प्राधिकारी विहित कर सकेंगे और ऐसे प्राधिकारी को धारा 19ट की उपधारा (5) के अधीन अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान और उसके रजिस्ट्रीकरण की बाबत जानकारी देने का उपबंध कर सकेंगे;]

(छ) वह रीति जिसमें राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन अपील की जा सकेगी, और ऐसी अपील के बारे में संदेय फीसें, विहित कर सकेंगे;

[2][(छक) यंत्रचालित जलयान का या उसमें के शेयर का बंधक सृजित करने वाली या ऐसे किसी बंधक का अन्तरण करने वाली लिखत के प्ररूप का उपबंध कर सकेंगे;]

(ज) किसी अन्य बात के लिए जो इस अध्याय के अधीन विहित की जानी हो, या विहित की जाए, उपबन्ध कर सकेंगे ।]

[3][**19ध. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन जारी किए गए कुछ प्रमाणपत्रों का इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य होना**—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन यंत्रचालित जलयान विषयक जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और प्रत्येक सर्वेक्षण प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के रूप में विधिमान्य और प्रभावी होगा और इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध ऐसे जलयान के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान को लागू होते हैं ।]

अध्याय 3

अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के मास्टर (जिनके अन्तर्गत सारंग आते हैं) और इंजीनियर (जिनके अन्तर्गत इंजन ड्राइवर आते हैं)

20. परीक्षकों की नियुक्ति—राज्य सरकार उन व्यक्तियों की अर्हताओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए परीक्षक नियुक्त कर सकेगी जो यह भाव रखने वाला प्रमाणपत्र (जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् सक्षमता प्रमाणपत्र कहा गया है) अभिप्राप्त करने की वांछा रखते हों कि वे अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के फलक पर, यथास्थिति, मास्टर अथवा सारंग या इंजीनियर अथवा इंजन ड्राइवर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हैं ।

21. मास्टरों, सारंगों, इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों के सक्षमता-प्रमाणपत्रों का अनुदान—(1) राज्य सरकार या ऐसा आफिसर, जिसे वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, हर ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में परीक्षकों ने रिपोर्ट दी हो कि वह विहित अर्हताएं रखता है, यह भाव रखने वाला सक्षमता-प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगी या करेगा कि वह अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर, यथास्थिति, प्रथम वर्ग मास्टर, द्वितीय वर्ग मास्टर या सारंग या इंजीनियर, प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर या द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है :

परन्तु तथापि यह कि इस अधिनियम के अधीन सक्षमता-प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से पूर्व ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदक के बारे में परीक्षकों की रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण समझे या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी रिपोर्ट असम्यक् रूप से दी गई है, तो वह आवेदक की अतिरिक्त परीक्षा या पुन: परीक्षा करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त हर प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में होगा ।

22. मास्टरों, सारंगों, इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों के सेवा-प्रमाणपत्रों का अनुदान—(1) राज्य सरकार [4][यदि वह ठीक समझे], किसी भी व्यक्ति को जिसने [5][राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथाविहित अवधि के लिए तटरक्षक, भारतीय नौसेना या नियमित सेना के किसी जलयान] के मास्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में सेवा की है, यह भाव रखने वाला प्रमाणपत्र (जिसे एतस्मिन्पश्चात् सेवा-प्रमाणपत्र कहा गया है), कि वह इस प्रकार सेवा कर चुकने के कारण, अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर, यथास्थिति, प्रथम वर्ग मास्टर, द्वितीय वर्ग मास्टर या सारंग के रूप में या इंजीनियर, प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर या द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है ।

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) क्रमश: "वाष्प जलयान" और "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 14 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 15 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "अपने स्वविवेकानुसार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयाजनों के लिए,—

(क) "तटरक्षक" पद का वही अर्थ होगा जो तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 2 के खंड (घ) में है;

(ख) "भारतीय नौसेना" पद का वही अर्थ होगा जो नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 3 के खंड (10) में है;

(ग) "नियमित सेना" पद का वही अर्थ होगा जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 3 के खंड (xxi) में है ।]

(2) इस अनुदत्त सेवा-प्रमाणपत्र का वही प्रभाव होगा जो परीक्षा के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त सक्षमता-प्रमाणपत्र का होता है ।

[2][**22क. अनुज्ञप्तियां**—(1) राज्य सरकार, [3][यदि वह ठीक समझे]—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसके पास धारा 21 या धारा 22 के अधीन अनुदत्त द्वितीय वर्ग मास्टर का प्रमाणपत्र हो, और जो ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर चालीस या अधिक अकलित अश्वशक्ति के इंजन वाले अन्तर्देशीय [4][यंत्रचालित जलयान] के मास्टर के रूप में पांच वर्ष से अन्यून कालावधि तक कार्य कर चुका हो, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके पास धारा 21 या धारा 22 के अधीन अनुदत्त प्रथम वर्ग के इंजन ड्राइवर का प्रमाणपत्र या [5][वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अनुदत्त या अनुदत्त किया गया समझा गया] इंजन ड्राइवर का प्रमाणपत्र हो, और जो ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर सत्तर से अन्यून अकलित अश्वशक्ति के इंजनों वाले अन्तर्देशीय जलयान के इंजन ड्राइवर के रूप में पांच वर्ष से अन्यून कालावधि तक सेवा कर चुका हो, जिस कालावधि में से ढाई वर्ष से अन्यून वह धारा 26 के अर्थ के अन्दर ऐसे जलयान का इंजन ड्राइवर रह चुका हो,

एक सौ सत्तर अकलित अश्वशक्ति के या इससे कम इतनी अकलित अश्वशक्ति के [6][जितनी वह सरकार] ठीक समझे, इंजनों वाले किसी अन्तर्देशीय [4][यंत्रचालित जलयान] के, यथास्थिति, मास्टर या इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति भी अनुदत्त कर सकेगी ।

(2) ऐसी कोई अनुज्ञप्ति केवल उतने समय के लिए प्रवृत्त रहेगी जितने के लिए उसे धारण करने वाले व्यक्ति के पास उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार का, यथास्थिति, मास्टर का या इंजन ड्राइवर का प्रमाणपत्र हो और वह उसका हकदार हो :

परन्तु राज्य सरकार, [3][यदि वह ठीक समझे,] ऐसी किसी भी अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या उसकी शर्तों में फेरफार कर सकेगी ।

23. प्रमाणपत्रों का दो प्रतियों में बनाया जाना—इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त हर सक्षमता-प्रमाणपत्र या सेवा-प्रमाणपत्र [7][और हर अनुज्ञप्ति] दो प्रतियों में बनाई जाएगी और एक प्रति, प्रमाणपत्र [7][या अनुज्ञप्ति] के हकदार व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी और दूसरी विहित रीति से रखी और अभिलेखबद्ध की जाएगी ।

24. कुछ दशाओं में प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि का अनुदत्त किया जाना—जब कभी कोई मास्टर या सारंग, अथवा कोई इंजीनियर या इंजन ड्राइवर उस प्राधिकारी को, जिसने उसका प्रमाणपत्र [8][या अनुज्ञप्ति] अनुदत्त की थी, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे, कि वह उसके किसी कसूर के बिना, उससे खो गई है, या वह उससे वंचित कर दिया गया है, तो उस प्रमाणपत्र [8][या अनुज्ञप्ति] की, जिसका वह धारा 23 के अधीन रखे गए अभिलेख के अनुसार हकदार प्रतीत होता हो, एक प्रतिलिपि उसे अनुदत्त की जाएगी, और उसका वही प्रभाव होगा, जैसा कि मूल का ।

25. एक सौ या अधिक अश्वशक्ति के जलयान के मास्टर और इंजीनियर द्वारा धारित किए जाने वाले प्रमाणपत्र—[9][एक सौ] या अधिक अकलित अश्वशक्ति के इंजनों वाला अन्तर्देशीय [4][यंत्रचालित जलयान] जलयात्रा पर तब तक अग्रसर न होगा, जब तक कि—

(क) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रथम वर्ग मास्टर का प्रमाणपत्र या [10][वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अनुदत्त या अनुदत्त किया गया समझा

[1] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "अपने स्वविवेकानुसार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 17 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1923 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "जितनी वह सरकार" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा "अस्सी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 18 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

गया] मास्टर का प्रमाणपत्र [1][या धारा 22क के अधीन अनुदत्त और ऐसे जलयान और जलयात्रा को लागू होने वाली मास्टर की अनुज्ञप्ति न हो], तथा

(ख) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास इस अधिनियम [2][या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अनुदत्त था अनुदत्त किया गया समझा गया] इंजीनियर का प्रमाणपत्र [3][या धारा 22क के अधीन अनुदत्त और ऐसे जलयान और जलयात्रा को लागू होने वाली इंजन ड्राइवर की अनुज्ञप्ति] न हो ।

26. चालीस और एक सौ के बीच की अश्वशक्ति, जलयान के मास्टर और इंजीनियर द्वारा धारित किए जाने वाले प्रमाणपत्र—[4][चालीस] या अधिक अकलित अश्वशक्ति के किन्तु [5][एक सौ] से कम अकलित अश्वशक्ति के इंजनों वाला अन्तर्देशीय [6][यंत्रचालित जलयान] किसी जलयात्रा पर तब तक अग्रसर न होगा, जब तक कि—

(क) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त द्वितीय वर्ग मास्टर का प्रमाणपत्र या धारा 25 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र न हो, तथा

(ख) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर का प्रमाणपत्र या [7][वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अनुदत्त किया गया समझा गया] इंजन ड्राइवर का प्रमाणपत्र या धारा 25 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र न हो :

परन्तु यदि [6][यंत्रचालित जलयान] का मास्टर और इंजीनियर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे पास इस धारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ये दोनों हों तो यह समझा जाएगा कि उस [6][यंत्रचालित जलयान] ने इस धारा का अनुपालन कर दिया है ।

27. चालीस से कम अश्वशक्ति के जलयान के मास्टर और इंजीनियर द्वारा धारित किए जाने वाले प्रमाणपत्र—[8][चालीस] से कम अकलित अश्वशक्ति के इंजनों वाला अन्तर्देशीय [6][यंत्रचालित जलयान] किसी जलयात्रा पर तब तक अग्रसर न होगा, जब तक कि—

(क) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त सारंग का प्रमाणपत्र या धारा 26 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र न हो, तथा

(ख) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर का प्रमाणपत्र या धारा 26 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र न हो :

परन्तु यदि [6][यंत्रचालित जलयान] का मास्टर और इंजीनियर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इस धारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ये दोनों हों तो यह समझा जाएगा कि उस वाष्प जलयान ने इस धारा का अनुपालन कर दिया है ।

28. अन्य प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र धारण करने की मास्टर या इंजीनियर से अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि वह व्यक्ति जिसके पास—

(क) [7][वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अनुदत्त या अनुदत्त किया गया समझा गया] मास्टर का प्रमाणपत्र है, अथवा

(ख) [7][वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अनुदत्त या अनुदत्त किया गया समझा गया] इंजीनियर का प्रमाणपत्र है,

अन्तर्देशीय [6][यंत्रचालित जलयान] के, यथास्थिति, मास्टर या इंजीनियर के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि—

(i) दशा (क) में, उसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त मास्टर या सारंग का ऐसा प्रमाणपत्र भी न हो जो उसे उस [6][यंत्रचालित जलयान] के मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए इस अध्याय के अधीन अर्हित करता हो, अथवा

(ii) दशा (ख) में, उसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त इंजीनियर का या इंजन ड्राइवर का ऐसा प्रमाणपत्र भी न हो जो उस [6][यंत्रचालित जलयान] के इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए इस अध्याय के अधीन अर्हित करता हो :

---

[1] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 18 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया ।
[4] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा "तीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा "अस्सी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 20 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 7 द्वारा "तीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस धारा के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, [1][यदि वह ठीक समझे,] किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन मास्टर अथवा सारंग का अथवा इंजीनियर या इंजन ड्राइवर का सक्षमता-प्रमाणपत्र, परीक्षा के बिना अनुदत्त कर सकेगी, और ऐसे प्रमाणपत्र का वही प्रभाव होगा, जो परीक्षा के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त सक्षमता-प्रमाणपत्र का होता है ।

29. सक्षमता प्रमाणपत्रों के अनुदान के बारे में नियम बनाने में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति— (1) राज्य सरकार [2]*** इस अध्याय के अधीन सक्षमता-प्रमाणपत्र के अनुदान के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित को विहित कर सकेंगे—

(क) सक्षमता-प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों की परीक्षा लेने के समय और स्थान और उसके संचालन की रीति,

(ख) ऐसे प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों से अपेक्षित की जाने वाली अर्हताएं,

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली परीक्षा फीसें, तथा

(घ) वे प्ररूप जिनमें ऐसे प्रमाणपत्र विरचित किए जाने हैं और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वह रीति जिसमें धारा 23 के अधीन प्रतियां रखी और अभिलेखबद्ध की जानी हैं ।

30. सेवा-प्रमाणपत्र के अनुदान के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार, धारा 22 के अधीन सेवा-प्रमाणपत्रों को अनुदत्त करना विनियमित करने के भी नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा विशिष्टतया निम्नलिखित को विहित कर सकेगी—

[3][(क) तटरक्षक, भारतीय नौसेना या नियमित सेना में सेवा की अवधि, जो धारा 22 के अधीन परीक्षा के बिना प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित है;]

[3][(कक)] ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए दी जाने वाली फीसें, तथा

(ख) वे प्ररूप जिनमें ऐसे प्रमाणपत्र विचरित किए जाने हैं और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वह रीति जिसमें धारा 23 के अधीन प्रतियां रखीं और अभिलेखबद्ध की जानी हैं ।

[4][**30क. अनुज्ञप्तियों के अनुदान के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति**—राज्य सरकार धारा 22क के अधीन अनुज्ञप्तियों को अनुदत्त करना विनियमित करने के लिए भी नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा विशिष्टियां निम्नलिखित को विहित कर सकेगी—

(क) ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए दी जाने वाली फीसें (यदि कोई हों), तथा

(ख) वे प्ररूप जिनमें ऐसी अनुज्ञप्तियां विरचित की जानी हैं और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वह रीति जिसमें धारा 23 के अधीन प्रतियां रखी और अभिलेखबद्ध की जानी हैं ।]

[5][**31. सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तियों का प्रभाव**—इस अध्याय के अधीन अनुदत्त सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति पूर्ण भारत में प्रभावी होगी ।]

अध्याय 4

अपघटनाओं का अन्वेषण

32. अपघटनाओं की रिपोर्ट निकटतम थाने को की जाना—जब कभी—

(क) कोई अन्तर्देशीय [6][यंत्रचालित जलयान] ध्वस्त, परित्यक्त या तात्विक रूप से नुकसानग्रस्त हो गया हो, अथवा

(ख) किसी अन्तर्देशीय [6][यंत्रचालित जलयान] की या उसके फलक पर कोई अपघटना घटित होने के कारण जीवन हानि हो गई हो, अथवा

(ग) किसी अन्तर्देशीय [6][यंत्रचालित जलयान] ने किसी अन्य जलयान को हानि या तात्विक नुकसान कारित किया हो,

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "अपने स्वविवेकानुसार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 8 द्वारा खण्ड (क) को (कक) के रूप में पुन:संख्यांकित और उससे पहले खंड (क) अंत:स्थापित ।
[4] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तब [1][यंत्रचालित जलयान] का मास्टर उस ध्वंस, परित्याग, नुकसान, अपघटना या हानि की सूचना निकटतम थाने के भारसाधक आफिसर को तत्काल देगा ।

33. अन्वेषण-न्यायालय नियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति—[2][(1) जब कभी राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि धारा 32 के अधीन रिपोर्ट किए गए अथवा अन्य रीति से उसकी जानकारी में लाए गए किसी मामले के तथ्यों का प्ररूपी अन्वेषण करना आवश्यक या समीचीन है तो राज्य सरकार]—

(क) विशेष न्यायालय नियुक्त कर सकेगी और न्यायालय को उस स्थान पर, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगी, अथवा

(ख) मामूली दण्ड अधिकारिता के किसी प्रधान न्यायालय को या किसी जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त विशेष-न्यायालय दो से अन्यून और चार से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनमें से एक मजिस्ट्रेट होगा, एक समुद्रीय कामकाज से या अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के नौपरिवहन से सुपरिचित व्यक्ति होगा, और अन्य (यदि कोई हो या हों) या तो समुद्रीय या वाणिज्य सम्बन्धी कामकाज से या अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयानों] के नौपरिवहन से सुपरिचित होगा या होंगे ।

34. अक्षमता या अवचार के आरोपों की जांच करने की अन्वेषण-न्यायालय की शक्ति—(1) धारा 33 के अधीन अन्वेषण करने वाला न्यायालय किसी मास्टर, इंजीनियर या इंजन ड्राइवर या अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र के धारक व्यक्ति के विरुद्ध अन्वेषण के अनुक्रम में उद्भूत अक्षमता या अवचार के किसी आरोप की, तथा धारा 32 में निर्दिष्ट कोई ध्वंस, परित्याग, नुकसान, अपघटना या हानि कारित करने वाले उसके सदोष कार्य या व्यतिक्रम के किसी आरोप की भी जांच कर सकेगा ।

(2) हर ऐसे मामले में, जिसमें कोई ऐसा आरोप किसी मास्टर, इंजीनियर या इंजन ड्राइवर या अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति के विरुद्ध अन्वेषण के अनुक्रम में उद्भूत हो आरोप की जांच प्रारम्भ करने से पूर्व न्यायालय उसे उस रिपोर्ट की या मामले के किसी कथन की, जिस पर कि अन्वेषण का निदेश दिया गया है, एक प्रति दिलवाएगा ।

35. धारा 33 के अधीन से अन्यथा अन्वेषण का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) यदि राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मास्टर, इंजीनियर या इंजन ड्राइवर या अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र के धारक व्यक्ति पर धारा 33 के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम में न होकर अन्यथा हुई अक्षमता या अवचार का आरोप लगाने के आधार हैं, तो वह मामले का कथन मामूली दण्ड अधिकारिता के प्रधान न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, जो उस स्थान पर या के निकटतम हो जहां पक्षकारों और साक्षियों के लिए हाजिर होना सुविधापूर्ण हो, भेज सकेगी और न्यायालय को आरोप का अन्वेषण करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण प्रारम्भ करने से पूर्व न्यायालय राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मामले के कथन की प्रति आरोपित व्यक्ति को दिलवाएगा ।

36. आरोपित व्यक्ति को सुना जाना—किसी मास्टर, इंजीनियर या इंजन ड्राइवर या अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति पर के किसी आरोप के इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, न्यायालय उसे उपसंजात होने के लिए समन कर सकेगा और उसे या तो स्वयं या अन्यथा, प्रतिरक्षा करने का पूर्ण अवसर देगा ।

37. असेसर—(1) जब कि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाले न्यायालय की राय में मास्टर, इंजीनियर या इंजन ड्राइवर या अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र के धारक व्यक्ति के प्रमाणपत्र को रद्द या निलम्बित करने से सम्बन्धित कोई प्रश्न उस अन्वेषण में अन्तर्वलित है या अन्वर्तलित होना सम्भाव्य प्रतीत होता है, तो न्यायालय वाणिज्यिक सेवा का या अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयानों] के नौपरिवहन का अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए अपने असेसर नियुक्त करेगा ।

(2) न्यायालय हर अन्य अन्वेषण में, यदि ठीक समझे, समुद्रीय कामकाज अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयानों] के नौपरिवहन से सुपरिचित और असेसर के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द किसी व्यक्ति को, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए अपना असेसर नियुक्त कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन असेसर के रूप में नियुक्त हर व्यक्ति अन्वेषण के दौरान हाजिर रहेगा, और कार्यवाहियों में अभिलेखबद्ध किए जाने के लिए अपनी लिखित राय देगा ।

38. साक्ष्य और कार्यवाहियों के विनियमन के बारे में न्यायालय की शक्तियां—जहां तक साक्षियों की हाजिरी और परीक्षा के लिए और दस्तावेजों का पेश किया जाना विवश करने और कार्यवाहियों के विनियमन का संबंध है, अन्वेषण करने वाले न्यायालय की इस अध्याय के अधीन किसी भी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए—

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" या "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 21 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) यदि वह विशेष-न्यायालय हो, वही शक्तियां होंगी, जो उस स्थान के, जहां अन्वेषण किया जाता है, मामूली दण्ड अधिकारिता के प्रधान न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य है, अथवा

(ख) यदि वह मामूली दण्ड अधिकारिता का प्रधान न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो वही शक्तियां होंगी, जो अपनी दण्ड अधिकारिता के प्रयोग में उन न्यायालयों द्वारा क्रमश: प्रयोक्तव्य हैं ।

39. जलयानों में प्रवेश और उनके निरोध करके साक्षियों की गिरफ्तारी करवाने की न्यायालय की शक्ति—(1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाला न्यायालय किसी व्यक्ति की, जिसका साक्ष्य उसकी राय में आवश्यक है, हाजिरी विवश कराने के लिए वारन्ट निकाले तो वह गिरफ्तारी कराने के लिए, किन्तु राज्य सरकार द्वारा निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अध्यधीन, किसी प्राधिकारी को इस निमित्त जलयान में प्रवेश करने का प्राधिकार दे सकेगा ।

(2) जलयान में प्रवेश करने के लिए ऐसे प्राधिकृत आफिसर प्रवेश प्रवर्तित कराने के प्रयोजन से पुलिस के या सीमाशुल्क के आफिसरों को या किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को, अपनी सहायता के लिए बुला सकेगा, और उस जलयान को इतने समय के लिए अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकेगा जितना गिरफ्तारी करने के लिए युक्तियुक्तत: आवश्यक है और हर ऐसा आफिसर या अन्य व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

(3) किसी भी व्यक्ति को अड़तालीस घन्टों से अधिक के लिए इस धारा के अधीन निरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

40. विचारण के लिए सुपुर्द करने और साक्षियों को बन्धपत्रित करने की न्यायालय की शक्ति—जब कभी अन्वेषण करने वाले न्यायालय को इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम में प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने [1][उन राज्यक्षेत्रों के अन्दर, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है] [1][ऐसे राज्यक्षेत्रों] में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, तो अन्वेषण करने वाला न्यायालय (इस अधिनियम से संगत ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि उच्च न्यायालय समय-समय पर इस निमित्त बनाए)—

(क) ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकेगा,

(ख) उसे सुपुर्द कर सकेगा या उसकी जमानत ले सकेगा जिससे उचित न्यायालय के समक्ष उसका विचारण हो,

(ग) ऐसे विचारण में साक्ष्य देने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को बन्धपत्रित कर सकेगा, तथा

(घ) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की सब शक्तियों का इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगा ।

41. अनुपस्थित साक्षियों के अभिसाक्ष्य—(1) जब कभी, धारा 40 में निर्दिष्ट विचारण के अनुक्रम में किसी साक्षी का साक्ष्य, उस विषयवस्तु के संबंध में अपेक्षित हो, तब इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाले किसी न्यायालय के समक्ष उसी विषयवस्तु के संबंध में उस द्वारा पहले दिया गया अभिसाक्ष्य, यदि वह ऐसे न्यायालय के मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकृत हो इस सबूत पर साक्ष्य में ग्राह्य होगा कि—

(क) साक्षी उस न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर नहीं पाया जा सकता जिसके समक्ष विचारण हो रहा है, तथा

(ख) अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था और साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर उसे मिला था ।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था और साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर उसे मिला था, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि वह ऐसे किया गया था और अभियुक्त को ऐसा अवसर मिला था ।

42. न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट—न्यायालय, इस अध्याय के अधीन हर अन्वेषण के मामले में जिन निष्कर्षों पर पहुंचा है, उनकी रिपोर्ट अभिलिखित साक्ष्य और असेसर की लिखित राय के सहित, राज्य सरकार को पारेषित करेगा ।

43. असेसरों से स्वतंत्र रूप में न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाना—इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाले न्यायालय द्वारा असेसर या असेसरों की धारा 37 के अधीन नियुक्ति के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रदत्त सब शक्तियों का प्रयोग केवल उस न्यायालय के ही हाथ में रहेगा ।

44. यंत्रचालित जलयानों में विस्फोटों के कारणों का अन्वेषण करने का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) जब कभी किसी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर कोई विस्फोट हो जाए, तब राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि विस्फोट के कारण का अन्वेषण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाए जिसे या जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे ।

(2) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस अन्वेषण के प्रयोजन के लिए [2][यंत्रचालित जलयान] में और पर सब आवश्यक कर्मकारों और श्रमिकों के साथ प्रवेश कर सकेगा या कर सकेंगे और [2][यंत्रचालित जलयान] का या उसकी मशीनरी का कोई भी प्रभाग निकाल सकेगा या निकाल सकेंगे और उसकी या उनकी राय में, विस्फोट का जो कारण था, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा या करेंगे ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) इस धारा के अधीन अन्वेषण करने वाला हर व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

[1][अध्याय 4क

नौ परिवहन में बाधाओं और तत्समान परिसंकटों को दूर करना

44क. नौ परिवहन आदि में अड़चन डालने वाले ध्वंस का निकालना या हटाना—(1) यदि कोई यंत्रचालित जलयान या अन्य जलयान जो किसी अन्तर्देशीय जल में ध्वस्त, उत्कूलित या निमग्न हो गया है, सुरक्षित और सुविधापूर्ण नौ परिवहन के लिए या अन्तर्देशीय जल के उपयोग या उतरने के स्थान अथवा चढ़ने के स्थान या उसके किसी भाग के लिए बाधा, अड़चन या खतरा है या होने के लिए संभाव्य है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् सक्षम अधिकारी कहा गया है) जलयान को बाहर निकलवाएगा, हटवाएगा या विस्फोटक से ध्वस्त कराएगा या अन्यथा नष्ट कराएगा जैसा कि परिस्थितियों से अपेक्षित हो ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाले किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्युद्धरित कोई सम्पत्ति अदावाकृत है या उसके लिए दावा करने वाला व्यक्ति उस उपधारा के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय का और ऐसे व्यय की रकम की पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त राशि का संदाय करने में असफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी लोक नीलाम द्वारा सम्पत्ति का विक्रय उस दशा में तुरन्त कर सकेगा जब सम्पत्ति विनश्वर प्रकृति की है और यदि वह विनश्वर प्रकृति की नहीं है, तो उसके प्रत्युद्धरण के पश्चात् किसी भी समय जो दो मास से कम का न होगा, उसका विक्रय कर सकेगा ।

(3) पूर्वोक्त व्यय और अतिरिक्त राशि सम्पत्ति के विक्रय आगमों में से सक्षम अधिकारी को संदेय होगी और अतिशेष उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जो प्रत्युद्धरित सम्पत्ति का हकदार है अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है और अतिशेष का दावा नहीं करता है तो वह उस व्यक्ति को बिना ब्याज संदाय किए जाने के लिए जमा रखा जाएगा जो उसके पश्चात् उस सम्पत्ति पर अपना अधिकार साबित कर देता है :

परन्तु यह तब जब कि वह व्यक्ति विक्रय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अपना दावा करे ।

(4) जहां सम्पत्ति के विक्रय आगम, पूर्वोक्त व्यय और अतिरिक्त राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वहां जलयान के ध्वस्त, उत्कूलित या निमग्न होने के समय उसका स्वामी मांग किए जाने पर सक्षम अधिकारी को कमी का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि ऐसी मांग के एक मास के भीतर कमी का संदाय नहीं कर दिया जाता, तो सक्षम अधिकारी ऐसे स्वामी से कमी ऐसे वसूल कर सकेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

44ख. अन्तर्देशीय जल से बाध को हटाना—(1) सक्षम अधिकारी किसी ऐसे काष्ठ, पटरा या अन्य वस्तु को जो अन्तर्देशीय जल में तैर रही है या उसके किसी भाग में है, जो उसकी राय में उसके निर्बाध नौ-परिवहन में या किसी उतरने के स्थान या चढ़ने के स्थान या उसके किसी भाग के विधिपूर्ण उपयोग में बाधा या अड़चन डालती है, हटा सकेगा या हटवा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी काष्ठ, पटरा या अन्य वस्तु का स्वामी उसके हटाए जाने के युक्तियुक्त व्ययों का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति ने विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना ऐसी कोई बाधा या अड़चन डाली है या ऐसा कोई लोक न्यूसेंस किया है, जिसका ऐसे निर्बाध नौ परिवहन या विधिपूर्ण उपयोग पर प्रभाव पड़ा है या प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है, तो वह ऐसे जुर्माने से भी जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) सक्षम अधिकारी या अपराध की अधिकारिता रखने वाला कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी न्यूसेंस का उपशमन करा सकेगा ।

44ग. हटाए जाने के व्ययों की वसूली—यदि ऐसे किसी काष्ठ, पटरा या अन्य वस्तु का कोई स्वामी या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई ऐसी बाधा या अड़चन पहुंचाई है या लोक न्यूसेंस किया हैं मांग किए जाने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर या शासकीय राजपत्र में ऐसे हटाए जाने के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर या ऐसी अन्य रीति से, जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे उसके हटाए जाने के उपगत व्यय का संदाय करने में उपेक्षा करता है, तो सक्षम अधिकारी इस प्रकार हटाए गए किसी लोक न्यूसेंस के ऐसे काष्ठ, पटरा या अन्य वस्तु या सामग्री को या उसके उतने भाग को जितना आवश्यक हो, लोक नीलाम द्वारा विक्रय करा सकेगा, और विक्रय आगमों में से ऐसे हटाए जाने और विक्रय के सभी व्यय प्रतिधारित कर सकेगा और ऐसे आगमों के अतिशेष का संदाय या उतनी वस्तु या सामग्री का, जितनी अविक्रीत रहे, परिदान उस व्यक्ति को करेगा जो उसे पाने का हकदार है और यदि ऐसा कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उसे ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार निदिष्ट करे रखवाएगा और यदि आवश्यक हो तो उतनी वस्तु या सामग्री के जितनी अविक्रीत रहे, विक्रय या अतिरिक्त विक्रय के व्यय सहित उसे रखवाने के व्यय वसूल कर सकेगा ।

44घ. विधिपूर्ण बाधा का हटाया जाना—(1) यदि किसी अन्तर्देशीय जल के नौ परिवहन को कोई बाधा या अड़चन विधिपूर्वक डाली गई है या ऐसी बाधा या अड़चन के दीर्घ अवधि तक जारी रहने के कारण या अन्यथा वह विधिपूर्ण बन गई है तो सक्षम अधिकारी उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार की जानकारी के लिए देगा और राज्य सरकार की मंजूरी से उसे ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त प्रतिकर देकर हटाएगा या उसमें परिवर्तन करेगा जिसको हटाए जाने या परिवर्तन करने से नुकसान उठाना पड़ा है ।

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 22 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

(2) ऐसे प्रतिकर से उद्भूत होने वाले या उससे संसक्त किसी विवाद का अवधारण लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि के मामले में ऐसे ही विवादों से संबंधित विधि के अनुसार किया जाएगा ।

44ङ. सरकारी मूरिंग से भिड़ जाना—(1) यदि कोई यंत्रचालित जलयान राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार से अन्तर्देशीय जल के किसी भाग में डाले गए बोया या मूरिंग में से किसी में अटक जाता है या उलझ जाता है तो न तो ऐसे जलयान का मास्टर और न ही कोई व्यक्ति आपातस्थिति के सिवाय सक्षम अधिकारी की सहायता के बिना अटकाव दूर करने के लिए या उलझाव से निकालने के प्रयोजन के लिए बोया या मूरिंग को उठाएगा ।

(2) सक्षम अधिकारी ऐसी घटना की सूचना प्राप्त करने पर तुरन्त ऐसे जलयान के निकालने में सहायता करेगा और उसका अधीक्षण करेगा और जलयान का स्वामी मांग किए जाने पर ऐसे युक्तियुक्त व्यय का संदाय करेगा जैसा उसके निकालने में उपगत किया गया हो ।

(3) इस धारा के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाला कोई मास्टर या अन्य व्यक्ति ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

अध्याय 5

इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्रों का निलम्बित और रद्द किया जाना

45. कुछ दशाओं में प्रमाणपत्रों को निलम्बित या रद्द करने की राज्य सरकार की शक्ति—[1][अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त कोई प्रमाणपत्र या किया गया कोई पृष्ठांकन उस राज्य की सरकार द्वारा, यथास्थिति, जिसमें प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, या जिसके बारे में पृष्ठांकन किया गया था, निम्नलिखित दशाओं में निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा, अर्थात्]—

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन किए गए अन्वेषण पर न्यायालय रिपोर्ट करे कि किसी जलयान का ध्वंस या परित्याग या उसे हुई हानि या नुकसान अथवा जीवन हानि ऐसे प्रमाणपत्र के धारक के सदोष कार्य या व्यतिक्रम से कारित हुई है अथवा ऐसे प्रमाणपत्र का धारक अक्षम है या घोर मत्तता, अत्याचार या अन्य अवचार का दोषी रहा है, अथवा

(ख) यदि यह साबित कर दिया जाए कि ऐसे प्रमाणपत्र का धारक किसी अजमानतीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका है, अथवा

[2][(खख) यदि ऐसे प्रमाणपत्र के धारक के बारे में यह साबित हो जाता है कि उसने अपने जलयान का अभित्याग कर दिया है या छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अपने जलयान से, या अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है; अथवा]

(ग) द्वितीय वर्ग मास्टर या सारंग या इंजन ड्राइवर के सक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र के धारक व्यक्ति की दशा में यदि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की राय में, यथास्थिति, द्वितीय वर्ग मास्टर या सारंग या इंजन ड्राइवर के रूप में कार्य करने के अयोग्य है या हो गया है :

परन्तु प्रमाणपत्र [3][या पृष्ठांकन] खण्ड (क) के अधीन तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाए कि प्रमाणपत्र के धारक को जैसा कि, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 द्वारा अपेक्षित है, मामले की रिपोर्ट या कथन की प्रति अन्वेषण के प्रारम्भ से पूर्व दे दी गई है ।

46. निलम्बित या रद्द किया गया प्रमाणपत्र परिदत्त करने की बाध्यता—हर व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र इस अध्याय के अधीन निलम्बित या रद्द किया जाए, उसे ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करेगा, जिसे राज्य सरकार, जिसने उसे निलम्बित या रद्द किया था, निदिष्ट करे ।

47. अन्य राज्य सरकार की रिपोर्ट—[1][यदि राज्य सरकार कोई पृष्ठांकन इस अध्याय के अधीन निलम्बित या रद्द करती है, तो वह] कार्यवाहियों की और निलम्बित या रद्द करने के तथ्य की रिपोर्ट उस राज्य सरकार को करेगी, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार के अधीन [1][वह प्रमाणपत्र] अनुदत्त किया गया था ।

48. निलम्बन या रद्दकरण को प्रतिसंहृत करने और नया प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) कोई राज्य सरकार, निलम्बित या रद्दकरण का कोई आदेश, जो इस अध्याय के अधीन दिया हो, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी या जिस व्यक्ति का प्रमाणपत्र उसने इस प्रकार रद्द किया हो उसे परीक्षा के बिना नया प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी ।

(2) ऐसे अनुदत्त प्रमाणपत्र का वही प्रभाव होगा, जो इस अधिनियम के अधीन परीक्षा के पश्चात् अनुदत्त सक्षमता-प्रमाणपत्र का होता है ।

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 23 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

अध्याय 6

अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के यात्रियों का संरक्षण और वहन

49. खतरनाक माल को घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि कौन से माल इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खतरनाक माल समझे जाएंगे ।

50. खतरनाक माल का वहन—(1) कोई भी व्यक्ति—

(क) अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर अपने साथ कोई खतरनाक माल, [2][यंत्रचालित जलयान] के स्वामी या मास्टर को उनकी प्रकृति की सूचना दिए बिना नहीं ले जाएगा, और न

(ख) ऐसे [2][यंत्रचालित जलयान] पर वहन के लिए कोई खतरनाक माल ऐसी सूचना दिए बिना और उस पैकेज के बाहर जिसमें वह माल अन्तर्विष्ट है उनकी प्रकृति को सुस्पष्टतया चिह्नित किए बिना परिदत्त या निविदत्त करेगा ।

(2) यदि किसी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] के स्वामी या मास्टर को सन्देह हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उस [2][यंत्रचालित जलयान] पर वहन के निमित्त ले जाए गए या परिदत्त या निविदत्त किए गए किसी समान या पार्सल में खतरनाक माल अन्तर्विष्ट है, तो वह—

(i) उसे [2][यंत्रचालित जलयान] पर वहन करने से इंकार कर सकेगा, अथवा

(ii) उसकी अन्तर्वस्तुओं की प्रकृति अभिनिश्चित करने के लिए उसके खोले जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा

(iii) यदि वह वहन किए जाने के लिए प्राप्त किया गया है, तो उसका अभिवहन तब तक रोक सकेगा जब तक कि उसकी अन्तर्वस्तुओं की प्रकृति के बारे में उसका समाधान न हो जाए ।

51. खतरनाक माल को जलयान पर से फेंक देने की यंत्रचालित जलयान के स्वामी या मास्टर की शक्ति—जहां कि कोई खतरनाक माल किसी अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर धारा 50 के उल्लंघन में ले जाया गया या परिदत्त किया गया हो, वह [2][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी या मास्टर, यदि वह ठीक समझे, उस माल को किसी पैकेज या पात्र सहित, जिनमें वह अन्तर्विष्ट हो, जलयान के फलक पर से फेंकवा सकेगा और न तो स्वामी और न मास्टर ही जलयान के फलक पर से माल के इस प्रकार फेंकवाने के बारे में किसी भी न्यायालय में किसी भी सिविल या दाण्डिक दायित्व के अधीन होगा ।

52. दुर्घनाओं से अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों की संरक्षा के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, विस्फोट, अग्नि, टक्कर और अन्य दुर्घटनाओं से [1][यंत्रचालित जलयानों] की संरक्षा के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) वे शर्तें विहित कर सकेंगे, जिन पर और जिनके अध्यधीन रहते हुए खतरनाक माल अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के फलक पर रखे जाने हैं,

(ख) अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के फलक पर विस्फोटों और अग्नि के निवारण के लिए की जाने वाली पूर्वावधानी विहित कर सकेंगे,

(ग) वे साधित्र विहित कर सकेंगे, जो आग बुझाने के प्रयोजन के लिए अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] के फलक पर रखे जाने हैं,

(घ) ध्वनि संकेतों के किए जाने का विनियमन कर सकेंगे,

(ङ) अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] द्वारा द्वीपों के वहन और प्रदर्शन का विनियमन कर सकेंगे,

(च) विनिर्दिष्ट अन्तर्देशीय जलों पर, जिन पर [1][यंत्रचालित जलयान] चलते हों अन्य जलयानों द्वारा द्वीपों के वहन और प्रदर्शन का विनियमन कर सकेंगे,

(छ) जिन अभिचालन नियमों का पालन किया जाना है, उन्हें विहित कर सकेंगे,

(ज) जलयानों का पीछे से या बगल में बांध कर अनुकर्षण विनियमित कर सकेंगे,

(झ) वह गति विहित कर सकेंगे जिस पर अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] का विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में नौपरिवहन किया जा सकेगा, [3]***

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया ।

(ञ) अन्य जलयानों को, या तटों, जलमार्गों, नौपरिवहन-चिह्नों या नौपरिवहनीय जलमार्गों में की या जलमार्गों से संस्पर्शी, स्थावर या जंगम किसी भी संपत्ति को खतरे का निवारण करने के लिए अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] का नौपरिवहन विनियमित कर सकेंगे ।

[2][(ट) वे अपेक्षाएं विहित कर सकेंगे जिनके अनुरूप अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के हल, उपस्कर और मशीनरी होंगे;

(ठ) जीवन रक्षक साधित्रों की अपेक्षा विहित कर सकेंगे; और

(ड) संचार और नौ परिवहन के लिए अपेक्षित उपकरणों को विहित कर सकेंगे ।]

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम में यह उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो सकेगा, कि उसे भंग करने वाला व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

53. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों में यात्रियों के वहन के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में यात्रियों का वहन विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम,—

(क) वे दशाएं विहित कर सकेंगे जिनमें यात्रियों को अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में प्रवेश करना मना किया जा सकेगा या उनसे उसे छोड़ने की अपेक्षा की जा सकेगी,

(ख) अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में यात्रियों द्वारा भाड़ों के संदाय और अपने भाड़ों का संदाय दर्शित करने वाले टिकटों या रसीदों (यदि कोई हों) का प्रदर्शन उपबन्धित कर सकेंगे, और

(ग) अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में यात्रियों के आचरण का साधारणतया विनियमन कर सकेंगे ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी नियम में यह उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो सकेगा कि उसे भंग करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो बीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] का मास्टर या कोई अभी अन्य आफ़िसर और उसके द्वारा अपनी सहायता के लिए बुलाया गया कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग किया हो, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम और पता मास्टर या ऐसे अन्य आफिसर को ज्ञात न हो, गिरफ्तार कर सकेगा ।

(5) प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी की दशा में [4][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 43] द्वारा विहित प्रक्रिया, इस धारा के अधीन की गई हर गिरफ्तारी के संबंध में लागू होगी ।

54. यात्रियों के संरक्षण के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में के यात्रियों के संरक्षण के लिए भी नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि—

(क) यात्री-टिकटों के मूल्य ऐसे टिकटों पर मुद्रित या अन्यथा द्योतित किए जाएं, तथा

(ख) ऐसे यात्रियों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में ताजे पानी का नि:शुल्क प्रदाय किया जाए ।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी नियम में यह उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो सकेगा कि उसे भंग करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

[5][**54क. यात्री भाड़ों और माल भाड़ों की अधिकतम और न्यूनतम दरें नियत करने की राज्य सरकार की शक्ति**—(1) राज्य सरकार, अन्तर्देशीय जलमार्गों की किसी प्रणाली की या अन्तर्देशीय जलमार्ग के किसी आयाम की या किसी अन्तर्देशीय जलमार्ग पर किन्हीं दो स्टेशनों के बीच दौड़ के बारे में, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) वह अधिकतम या न्यूनतम [6][प्रति किलोमीटर] दर नियत कर सकेगी जो अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में यात्रा करने वाले किसी भी वर्ग के यात्रियों की बाबत यात्री भाड़ों के लिए प्रभारित की जा सकेगी,

(ख) वह अधिकतम [6][प्रति किलोमीटर] दर नियत कर सकेगी, जो अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयानों] में वहन किए जाने वाले किसी भी वर्णन के माल पर माल भाड़े के लिए प्रभारित की जा सकेगी,

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 24 द्वारा (1-5-1978 से) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 59" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1930 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 25 द्वारा (1-5-1978 से) "प्रति मील" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) वह न्यूनतम [1][प्रति किलोमीटर] दर नियत कर सकेगी जो अन्तर्देशीय [2][यंत्रचालित जलयानों] में वहन किए जाने वाले किसी वर्णन के माल पर माल भाड़े के लिए प्रभारित की जा सकेगी, तथा

(घ) यह घोषित कर सकेगी कि जहां अधिकतम या न्यूनतम दरें इस धारा के अधीन नियत की गई हैं, वहां यात्री-भाड़े या माल-भाड़े की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, अन्तर्देशीय जलमार्ग पर किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी समझी जाएगी ।

(2) राज्य सरकार जलमार्गों की किसी भी प्रणाली या जलमार्ग के किसी भी आयाम या अन्तर्देशीय जलमार्ग पर किन्हीं दो स्टेशनों के बीच दौड़ पर वहन किए जाने वाले किसी यात्री वर्ग या किसी वर्णन के माल के बारे में उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी न्यूनतम दर तब तक नियत नहीं करेगी, जब तक कि उसका समाधान न हो जाए कि ऐसे किसी अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] पर या ऐसे जलयानों के समूह पर ऐसे यात्रियों या माल की बाबत प्रभारित दरें इतनी घटा दी गई हैं, कि उससे किसी अन्य अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] को या ऐसे वाष्प जलयानों के समूह को ऐसे यात्रियों या माल को वहन करने से परिविरत होने के लिए विवश करने का आशय प्रकट होता है ।

[4][(3) प्रति किलोमीटर अधिकतम और न्यूनतम दर नियत करने के संबंध में किसी विवाद की दशा में जो दो राज्यों के बीच पड़ने वाली किन्हीं दो स्टेशनों के बीच अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान में वहन किए जाने वाले किसी यात्री वर्ग या किसी भी वर्णन के माल पर माल भाड़े के बारे में प्रभारित की जा सकेगी, कोई भी राज्य मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा जो उसका विनिश्चय करेगी ।]

54ख. सलाहकार समितियों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करने वाले नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, यात्रियों के और माल पौतिकों के हितों पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों पर अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयानों] के स्वामियों, अभिकर्ताओं और भाटक-कर्ताओं को सलाह देने के लिए समितियों की नियुक्ति, गठन, प्रक्रिया और कृत्यों के लिए उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी ।

[5][अध्याय 6क

यंत्रचालित जलयानों का पर-व्यक्ति जोखिम बीमा

[6][**54ग. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 134, अध्याय 10, 11 और 12 का यंत्रचालित जलयान के संबंध में लागू होना**—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 134, अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 के उपबंध यंत्रचालित जलयानों के संबंध में यथाशक्य, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मोटरयानों के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) धारा 134 में और संपूर्ण अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 में,—

(i) "मोटर" या "मोटरयान" या "यान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "यंत्रचालित जलयान" के प्रतिनिर्देश हैं;

(ii) "सार्वजनिक स्थान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "अन्तर्देशीय जल" के प्रतिनिर्देश हैं;

(iii) "सार्वजनिक सेवा यान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "सार्वजनिक सेवा यान" के प्रतिनिर्देश हैं;

(iv) "माल यान" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "माल सेवा जलयान" के प्रतिनिर्देश हैं;

(v) "राज्य परिवहन" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य जल परिवहन" के प्रतिनिर्देश हैं;

(vi) "ड्राइवर" या "किसी यान के ड्राइवर" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "किसी जलयान के मास्टर" के प्रतिनिर्देश हैं;

(vii) "चालन अनुज्ञप्ति" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त" प्रमाणपत्र के प्रतिनिर्देश हैं;

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 25 द्वारा (1-5-1978 से) "प्रति मील" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयानों" या "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 25 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 26 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(viii) "परमिट" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 19च के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" के प्रतिनिर्देश हैं,

और ऐसे अन्य पारणामिक संशोधन भी जो व्याकरण के नियमों की दृष्टि से अपेक्षित हों, किए जाएंगे;

(ख) धारा 145 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "माल सेवा जलयान" से ऐसा कोई यंत्रचालित जलयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक स्थोरा का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है;';

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घक) "सार्वजनिक सेवा जलयान" से ऐसा कोई यंत्रचालित जलयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है;';

(iii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "संपत्ति" के अंतर्गत अन्तर्देशीय जलयान में ले जाया जा रहा माल, पुल, उतराई, सुविधाएं, नौ चालन चिह्न और अवसंरचना भी हैं;';

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) "मार्ग" से यात्रा का वह पथ अभिप्रेत है जिसकी बाबत यह विनिर्दिष्ट है कि वह ऐसा जलमार्ग है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यंत्रचालित जलयान आ जा सकता है;';

(ग) धारा 149 की उपधारा (2) के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (i) में,—

(अ) मद (ग) में "परिवहन यान" शब्दों के स्थान पर "सार्वजनिक सेवा जलयान या माल सेवा जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) मद (घ) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपखंड (ii) में, "जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त नहीं हैं" शब्दों के स्थान पर "जो अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र धारण नहीं करता है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(घ) धारा 158 में,—

(i) "परिवहन यान" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "सार्वजनिक सेवा जलयान या माल सेवा जलयान" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी, जो व्याकरण के नियमों की दृष्टि से अपेक्षित हों, किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 9 के अधीन अनुदत्त सर्वेक्षण प्रमाणपत्र;";

(ङ) धारा 161 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "बारह हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 165 की उपधारा (1) में, "मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अन्तर्देशीय जलयान दुर्घटना दावा अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।]

[1][अध्याय 6कख

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा अंतर्देशीय जल संरक्षण

54घ. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिसंकटमय रसायन" या "घृणाजनक पदार्थ" से, यथास्थिति, कोई ऐसा रसायन या पदार्थ अभिप्रेत है जो इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस रूप में अभिहित किया गया है;

(ख) "तेल" से कच्चे तेल, भारी डीजल तेल, स्नेहक तेल और सफेद तेल जैसा चिरस्थायी तेल अभिप्रेत है चाहे वह स्थोरा या ईंधन के रूप में किसी टैंकर के फलक पर वहन किया जाता है, या नहीं;

(ग) "तैलीय मिश्रण" से कोई तेल अंतर्वस्तु वाला कोई मिश्रण अभिप्रेत है ।

54ङ. अंतर्देशीय जल में तेल, तैलीय मिश्रण, आदि के निस्सारण के संबध में प्रतिषेध—किसी यंत्रचालित जलयान से कोई तेल या तैलीय मिश्रण या परिसकंटमय रसायन या घृणाजनक पदार्थ का अंतर्देशीय जल में निस्सारण नहीं किया जाएगा :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी यंत्रचालित जलयान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, किसी यंत्रचालित जलयान, स्थोरा की क्षति को निवारित करने, या अंतर्देशीय जल में जीवन बचाने के प्रयोजन के लिए किसी यंत्रचालित जलयान से ऐसे तेल या तैलीय मिश्रण, परिसंकटमय रसायन या घृणाजनक पदार्थ के निस्सारण को लागू नहीं होगी ।

54च. अन्तर्देशीय पत्तन पर ग्रहण सुविधाएं, आदि—(1) यथास्थिति, किसी अंतर्देशीय पत्तन स्थोरा या यात्री टर्मिनल का स्वामी या प्रचालक ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर तेल, तैलीय मिश्रण, परिसंकटमय रसायन या घृणाजनक पदार्थ का निस्सारण करने के लिए ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(2) किसी अंतर्देशीय पत्तन, किसी स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला, यथास्थिति, अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल का स्वामी या प्रचालक सुविधाओं के उपयोग के लिए ऐसी दरों पर प्रभार ले सकेगा और उनके उपयोग के संबध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुमोदित की जाए ।

(3) राज्य सरकार, पहले से कारित प्रदूषण को कम करने के प्रयोजनों के लिए, या कारित किए जाने वाले आशंकित प्रदूषण को निवारित करने के लिए लिखित आदेश द्वारा ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा और यात्री टर्मिनल पर ऐसे प्रदूषण संरोधन उपस्करों और प्रदूषण हटाने वाली सामग्रियों के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपबंध के लिए व्यवस्था और इंतजाम करने के लिए किसी अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक को निदेश दे सकेगी ।

54छ. प्रवेश, निरीक्षण आदि की शक्ति—(1) कोई सर्वेक्षक या इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त समय पर निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा,—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर राज्य सरकार के आदेश या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप प्रदूषण संरोधन, उपस्कर और प्रदूषण हटाने वाली सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) प्रदूषण निवारण के लिए किए गए उपायों की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करने के लिए ।

(2) यदि सर्वेक्षक यह पाता है कि अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर पूर्वोक्त उपस्कर और सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो वह, यथास्थिति, ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक को उस कमी का उललेख करते हुए और उसकी राय में उक्त कमी को दूर करने के लिए जो अपेक्षित हैं उसे भी उपदर्शित करते हुए लिखित में सूचना देगा ।

(3) यथास्थिति, ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल का कोई स्वामी या प्रचालक, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, यथास्थिति, ऐसे अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर तब तक आगे कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कि सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि, यथास्थिति, अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्वोक्त उपस्कर और सामग्री समुचित रूप से उपलब्ध करा दी गई है ।

54ज. केन्द्रीय सरकार की प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम,—

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) धारा 54घ के खंड (क) के अधीन अभिहित परिसंकटमय रसायन और घृणाजनक पदार्थ विहित कर सकेंगे;

(ख) कतिपय दशाओं में तट पर और फलक पर तैलीय मिश्रण उपचार उपस्कर की फिटिंग विहित कर सकेंगे;

(ग) अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर ग्रहण सुविधाओं के ब्यौरे विहित कर सकेंगे;

(घ) अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा या यात्री टर्मिनल के लिए प्ररूप या अभिलेख पुस्तकें और वह रीति जिसमें ऐसी पुस्तकें रखी जाएंगी, उनमें की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकृति, वह समय और परिस्थितियां, जिनमें ऐसी प्रविष्टियां की जाएंगी, उनकी अभिरक्षा और व्ययन और उससे संबंधित सभी अन्य बातें विहित कर सकेंगे;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।]

अध्याय 7

शास्तियां और विधिक कार्यवाहियां

55. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बिना जलयात्रा करने के लिए शास्ति—(1) यदि कोई अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] धारा 3 [2][या धारा 19क] के उल्लंघन में जलयात्रा पर अग्रसर होगा, तो [1][यंत्रचालित जलयानों] के स्वामी और मास्टर में से हर एक, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि धारा 3 [2][या धारा 19क] के उल्लंघन में जलयात्रा पर अग्रसर होने वाले अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर का मास्टर या कोई अन्य आफिसर अनुज्ञप्त पाइलट हो, तो वह इस दायित्व के अधीन होगा कि उसकी पाइलट होने की अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार द्वारा किसी कालावधि के लिए निलम्बित या रद्द कर दी जाए ।

56. अन्तर्देशीय वाष्प जलयान में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र लगाने में अपेक्षा के लिए शास्ति—यदि सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] में वैसे लगवा रखा न गया हो जैसे कि धारा 10 द्वारा अपेक्षित है [3][या यदि रजिस्ट्रीकरण चिह्न वैसे सम्प्रदर्शित न किया जाए, जैसा कि धारा 19च द्वारा अपेक्षित है,] तो [1][यंत्रचालित जलयान] के स्वामी और मास्टर में से हर एक जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

[4][**57. सर्वेक्षण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र परिदत्त करने या अभ्यर्पित करने की उपेक्षा या से इन्कार के लिए शास्ति**—यदि अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी या मास्टर,—

(क) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र परिदत्त करने की या करने से, तब जब कि धारा 14 के अधीन ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाए, अथवा

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र परिदत्त करने की या करने से, तब जब कि धारा 19ढ के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, अथवा

(ग) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने की या करने से तब जब कि धारा 19ण के अधीन ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाए,

युक्तियुक्त हेतुक के बिना उपेक्षा या इन्कार करेगा, तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

58. जलयान के फलक पर अत्यधिक यात्री वहन करने के लिए शास्ति—यदि अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर या उसके किसी भाग में इतनी संख्या में यात्री हैं जो उस संख्या से अधिक है जो कि सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में यात्रियों की उस संख्या के रूप में उपवर्णित है जिसे ले जाने के लिए सर्वेक्षक के निर्णय में वह जलयान या उसका वह भाग योग्य है तो स्वामी और मास्टर में से हर एक, जुर्माने से, जो उस संख्या से अधिक वाले प्रति यात्री लेखे [5][एक सौ रुपए तक] का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

[6][**58क. जलयान के फलक पर स्थोरा की अत्यधिक मात्रा वहन करने के लिए शास्ति**—यदि अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के फलक पर या उसके किसी भाग में इतना स्थोरा है जो उस स्थोरा से अधिक है जो सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में स्थोरा की मात्रा के रूप में वार्णित है जिसे ले जाने के लिए सर्वेक्षक के निर्णय में वह जलयान या उसका वह भाग योग्य है तो स्वामी और मास्टर में से हर एक उस शास्ति के अतिरिक्त जिसका वह धारा 58 के उपबन्धों के अधीन दायी है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो—

(क) प्रथम अपराध की दशा में, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा;

(ख) किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में एक हजार रुपए तक का हो सकेगा ।]

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" या "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनिमय सं० 26 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1951 के अधिनिमय सं० 26 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1951 के अधिनिमय सं० 26 की धारा 6 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 27 द्वारा (1-5-1978 से) "दस रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 28 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

59. प्रमाणपत्र के बिना मास्टर या इंजीनियर के रूप में सेवा करने या किसी व्यक्ति को सेवार्थ नियोजित करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति,—

(क) अन्तर्देशीय [1][यंचालित जलयान] में किसी जलयात्रा पर ऐसे जलयान के मास्टर या इंजीनियर के रूप में इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, यथास्थिति, मास्टर अथवा सारंग के अथवा इंजीनियर या इंजन ड्राइवर के प्रमाणपत्र का [2][अथवा मास्टर या इंजन ड्राइवर को अनुज्ञप्ति का] उस समय हकदार हुए बिना, और अपने पास रखे बिना अग्रसर होगा, अथवा

(ख) अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] के मास्टर या इंजीनियर के रूप में किसी व्यक्ति को, यह अभिनिश्चित किए बिना नियोजित करेगा कि वह उस समय ऐसे प्रमाणपत्र [4][या अनुज्ञप्ति] का हकदार है, और वह उसके पास है,

वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

60. ध्वंस या अपघटना की सूचना देने में असफल रहने वाले मास्टर के लिए शास्ति—यदि कोई मास्टर किसी ध्वंस, परित्याग, नुकसान, अपघटना या हानि की, धारा 32 द्वारा यथापेक्षित रूप में सूचना देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के देने में व्यतिक्रम पर सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

61. निलम्बित या रद्द किया गया प्रमाणपत्र परिदत्त करने में असफल रहने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन निलम्बित या रद्द कर दिया हो, उस प्रमाणपत्र को धारा 46 द्वारा यथा अपेक्षित रूप में परिदत्त करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

62. सूचना के बिना खतरनाक माल को अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के फलक पर वहन के लिए ले जाने या परिदत्त करने या निविदत्त करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, धारा 50 के उल्लंघन में कोई खतरनाक माल अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर अपने साथ ले जाएगा या ऐसा कोई माल अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] में वहन के लिए परिदत्त या निविदत्त करेगा, तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और वह माल सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

[5][**62क. दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड**—यदि किसी अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का स्वामी या ड्राइवर या अन्य कोई भारसाधक व्यक्ति ऐसी दुर्घटना की जिसमें उसका जलयान अन्तर्ग्रस्त है, अध्याय 6क के अधीन यथा अपेक्षित रूप में रिपोर्ट करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से या यदि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है और इस धारा के अधीन इस अपराध के लिए पुन: सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की ही सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

62ख. अबीमाकृत यंत्रचालित जलयान का उपयोग करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति ऐसी बीमा पालिसी के बिना जो अध्याय 6क की अपेक्षाओं के अनुरूप है यंत्रचालित जलयान का उपयोग करेगा या यंत्रचालित जलयान का उपयोग करवाएगा या करने की अनुज्ञा देगा तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

62ग. बीमा के बारे में सूचना देने में या बीमा प्रमाणपत्र पेश करने में उपेक्षा या इन्कार करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त हेतुक के बिना अध्याय 6क के उपबन्धों के अधीन बीमा के बारे में सूचना देने में या बीमा प्रमाणपत्र पेश करने में उपेक्षा या इन्कार करेगा तो वह जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

[6][**62घ. प्रदूषण से संबंधित अपराधों के लिए दंड**—जो कोई अध्याय 6कख के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

62ङ. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां अध्याय 6कख के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का और उसके प्रति उत्तरदायी कंपनी भी ऐसे उल्लंघन की दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" या "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1920 के अधिनियम सं० 6 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 29 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

[6] 2007 के अधिनियम सं० 35 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्याय 6कख के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया था, या उस अपराध का किया जाना उसकी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

63. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या जीवन या अंग को संकटापन्न करने वाले अवचार या उपेक्षा के लिए शास्ति—अन्तर्देशीय [1][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर किसी भी हैसियत में नियोजित या लगा हुआ कोई व्यक्ति यदि जानबूझकर किए गए भंग द्वारा या कर्तव्य की उपेक्षा द्वारा या मत्तता के कारण,—

(क) कोई ऐसा कार्य करेगा जो अव्यवहित रूपेण जलयान को ध्वस्त करने, विनष्ट करने या तात्विक रूप में उसे नुकसान कारित करने की या जलयान के फलक पर के या जलयान के किसी व्यक्ति के जीवन या अंग को संकटापन्न करने की प्रवृत्ति रखने वाला हो, अथवा

(ख) उसके द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित और उचित विधिपूर्ण कार्य करने से इन्कार करेगा या करने में लोप करेगा जो अव्यवहित नष्टि, विनाश या तात्विक क्षति से जलयान को परिरक्षित करने के लिए या ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन या अंग को आसन्न संकट से परिरक्षित करने के लिए हो,

तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

[2][**63क. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति**—यदि किसी यंत्रचालित जलयान के फलक पर किसी हैसियत में नियोजित या लगा हुआ कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा तो वह निम्नलिखित रूप में संक्षेपत: दंडित किया जाएगा :—

(क) यदि वह अपने यंत्रचालित जलयान का अभित्यजन करेगा तो वह अभित्यजन के अपराध का दोषी होगा और उसकी वह सभी या कोई संपत्ति जिसे वह जलयान के फलक पर छोड़ेगा और वह मजदूरी जो उसने उस समय उपार्जित की है, समपहृत हो जाएगी और कारावास से भी, जो तीन मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(ख) यदि वह समुद्र यात्रा के प्रारम्भ में या किए जाने के दौरान किसी पत्तन या घाट से जलयान के समुद्र यात्रा आरम्भ करने के चौबीस घंटों के भीतर किसी समय युक्तियुक्त हेतुक के बिना अपने यंत्रचालित जलयान में जाने से या अपने जलयान में किसी समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने में उपेक्षा करेगा या इंकार करेगा या छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहेगा या अपने जलयान से या अपने कर्तव्य से छुट्टी या किसी कारण के बिना किसी समय अनुपस्थित रहेगा तो वह, यदि अपराध अभित्यजन की कोटि में नहीं आता या मास्टर द्वारा इस प्रकार नहीं माना जाता, छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहने के अपराध का दोषी होगा और अपनी मजदूरी में से वह राशि जो दो दिन के वेतन से अधिक नहीं होगी और इसके अतिरिक्त प्रत्येक चौबीस घंटों की अनुपस्थिति के लिए वह राशि जो छह दिन के वेतन से अधिक नहीं होगी या ऐसा व्यय जो किसी स्थानापन्न व्यक्ति को भाड़े पर लेने पर उपगत किया गया है समपहृत कराने का दायी होगा और कारावास से भी जो दो मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

63ख. अनुशासन विरुद्ध साधारण अपराध—यदि किसी यंत्रचालित जलयान के फलक पर किसी हैसियत में नियोजित या लगा हुआ कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा तो वह अनुशासन के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा और वह निम्नलिखित रूप में संक्षेपत: दण्डित किया जाएगा :—

(क) यदि वह छुट्टी के बिना यंत्रचालित जलयान को उसके पत्तन या घाट पर अथवा परिदान के पत्तन या घाट पर आने पर छोड़ देगा तो वह अपनी मजदूरी में से वह राशि, जो एक मास के वेतन से अधिक नहीं होगी, समपहृत कराने का दायी होगा ;

(ख) यदि वह किसी विधिपूर्ण समादेश के प्रति जानबूझकर अवज्ञा का या कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी है तो वह अपनी मजदूरी में से वह राशि जो दो दिन के वेतन से अधिक नहीं होगी, समपहृत कराने का दायी होगा;

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 30 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।

(ग) यदि वह विधिपूर्ण समादेश के प्रति निरन्तर जानबूझकर अवज्ञा का या कर्तव्य की निरन्तर जानबूझकर उपेक्षा का दोषी है तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा अथवा अवज्ञा या उपेक्षा के प्रत्येक चौबीस घंटे के लिए वह राशि जो छह दिन के वेतन से अधिक नहीं है या ऐसा व्यय जो किसी स्थानापन्न व्यक्ति को भाड़े पर लेने पर उचित रूप से उपगत किया गया है, समपहृत कराने का भी दायी होगा;

(घ) यदि वह जलयान के मास्टर या किसी अन्य अधिकारी पर प्रहार करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ङ) यदि वह विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करने के लिए या कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए या जलयान के परिवहन में अड़चन डालने के लिए या समुद्र यात्रा में बाधा पहुंचाने के लिए किन्हीं अधिकारियों के साथ मिलेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(च) यदि वह जानबूझकर अपने यंत्रचालित जलयान को नुकसान पहुंचाएगा या उसके किसी भण्डार या स्थोरा के सम्बन्ध में आपराधिक दुर्विनियोग या न्यास भंग करेगा या जानबूझकर नुकसान पहुचाएगा तो वह अपनी मजदूरी में से हुई हानि के समान राशि को समपहृत कराने का दायी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

63ग. शासकीय लाग बुक में अपराध की प्रविष्टि—यदि इस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत अभित्यजन या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति या अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है या ऐसा कोई कार्य या अवचार किया जाता है जिसके लिए अपराधी का करार जुर्माना अधिरोपित करता है और वह जुर्माना प्रवर्तित कराने का आशय है—

(क) अपराध या कार्यों की प्रविष्टि शासकीय लाग बुक में की जाएगी और वह मास्टर या यंत्रचालित जलयान के फलक पर किसी हैसियत में नियोजित या लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी;

(ख) अपराधी को प्रविष्टि की एक प्रति दी जाएगी और वह उसे सुभिन्न और स्पष्ट रूप से पढ़ कर सुनाई जाएगी और तदुपरि वह उसका ऐसा उत्तर देगा जो वह ठीक समझे;

(ग) इस प्रकार की गई प्रविष्टि की प्रति का एक विवरण और इस प्रकार पढ़ी गई प्रविष्टि और अपराधी द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हों, भी प्रविष्ट किए जाएंगे और पूर्वोक्त रूप में उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(घ) किन्हीं पश्चात्वर्ती विधिक कार्यवाहियों में इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रविष्टियां, यदि व्यावहारिक हो, तो पेश की जाएंगी या साबित की जाएंगी और ऐसे पेश किए जाने या सबूत के अभाव में मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय अपने स्वविवेकानुसार अपराध या अवचार के कार्य के साक्ष्य को प्राप्त करने से इंकार कर सकेगा ।]

[1][[2]**[63घ.] जिन अपराधों के लिए दण्ड अन्यथा उपबन्धित नहीं है उनके लिए साधारण उपबन्ध**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा जिसके लिए किसी अन्य दण्ड का उपबन्ध इस अधिनियम में नहीं किया गया है तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

64. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान के करस्थम् द्वारा जुर्माने का उद्ग्रहण—जहां कि अन्तर्देशीय [3][यंत्रचालित जलयान] का स्वामी या मास्टर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जो उस [3][यंत्रचालित जलयान] के फलक पर या उसके सम्बन्ध में किया गया हो और जुर्माना देने के लिए दण्डादिष्ट किया जाए वहां वह मजिस्ट्रेट जिसने दण्डादेश पारित किया है, निदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम का उद्ग्रहण उस [3][यंत्रचालित जलयान] और उसकी टैकल, परिधान और फर्नीचर के या उसके उतने जितने कि आवश्यक हों करस्थम् और विक्रय द्वारा किया जाए ।

65. मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता—धारा 53 के अधीन बनाए गए किसी नियम के विरुद्ध अपराध के सिवाय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन अपराध का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट तब के सिवाय नहीं करेगा जब कि वह प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट हो जिसकी शक्तियां प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियों से कम नहीं हैं ।

66. विचारण का स्थान—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के विरुद्ध कोई अपराध करेगा, तो वह उस अपराध के लिए किसी भी स्थान में, जिसमें वह पाया जाएगा जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे कि किसी अन्य स्थान में जिसमें किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन उसका विवरण किया जा सकता हो, विचारणीय होगा ।

[1] 1951 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 30 द्वारा (1-5-1987 से) धारा 63क के रूप में पुन:संख्यांकित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अध्याय 8

अनुपूरक

67. साधारण नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उन प्रयोजनों को, जिनके लिए अन्यथा विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी नियम में यह उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो सकेगा कि उसे भंग करने वाला व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

68. कुछ अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों को इस अधिनियम के लागू होने में उपान्तर करने की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार [1]*** शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि [2][अध्याय 2, 2क और 3] के सब उपबन्ध या उनमें से कोई [3][यंत्रचालित जलयानों] के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग की दशा में लागू नहीं होंगे या वे ऐसे उपान्तरों के साथ उन पर लागू होंगे, जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

[4][**69. फीस से सरकारी जलयानों को छूट**—राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन संदेय फीस के संदाय से सरकार के या उसकी सेवा के सभी यंत्रचालित जलयानों को या उनमें से किसी को छूट दे सकेगी ।]

70. ज्वारीय जल परिनिश्चित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—[5][केन्द्रीय सरकार] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिनिश्चित कर सकेगी कि कहां तक का ज्वारीय जल इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जल समझा जाएगा ।

[6]* * * * *

71. फीसों का जुर्मानों के तौर पर वसूलीय होना—इस अधिनियम के अधीन संदेय सब फीसें, इस अधिनियम के अधीन जुर्मानों के तौर पर वसूल की जा सकेंगी ।

72. अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के प्रमाणपत्रित मास्टर का 1908 के अधिनियम 15 की धारा 31 के अधीन पायलट समझा जाना—(1) धारा 31 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि अन्तर्देशीय [7][यंत्रचालित जलयान] का हर मास्टर जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त और प्रवृत्त मास्टर का प्रमाणपत्र रखता हो, उन पत्तनों में जिन पर भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 31 का विस्तार किया गया है, उस धारा के प्रयोजनों के लिए उस [3][यंत्रचालित जलयान] का, जिसका वह भारसाधक हो, पायलट समझा जाएगा ।

[8]* * * * *

[9][**72क. पाकिस्तान में अनुदत्त प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों का पृष्ठांकन**—[10][[11][बंगला देश] की सरकार] द्वारा [10][उस देश] में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उन उपबन्धों के अनुसार जो इस अधिनियम के अध्याय 2 या अध्याय 3 के उपबन्धों के तत्समान हों, अनुदत्त प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति का पृष्ठांकन इस अधिनियम के अधीन वैसे ही प्रमाणपत्र या वैसी ही अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए विहित फीस के संदाय किए जाने पर,—

(क) भारत के किसी भी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा

(ख) ऐसे राज्य की सरकार की साधारण या विशेष मंजूरी से उस प्राधिकारी द्वारा जो इस अधिनियम के अधीन वैसा ही प्रमाणपत्र या वैसी ही अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो,

किया जा सकेगा और ऐसे किसी प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के ऐसे पृष्ठांकित किए जाने पर उसका ऐसा प्रभाव होगा मानो उसका अनुदान इस अधिनियम के अधीन किया हो ।]

73. [विद्युत या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित जलयानों को अधिनियम का लागू होना ।] अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 35) की धारा 33 द्वारा (1-5-1978 से) निरसित ।

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से" शब्दों का लोप किया गया ।
[2] 1951 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा "अध्याय 2 और 3" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 31 द्वारा (1-5-1978 से) धारा 69 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1950 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा "राज्य सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित परन्तुक का 1950 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 1917 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] विधि अनुकलन आदेश, 1948 द्वारा उपधारा (2) निरसित ।
[9] 1949 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] ये शब्द अनुपांतरित समझे जाएंगे देखिए विधि अनुकूलन आदेश, 1950 ।
[11] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा (1-5-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

74. नियमों का प्रकाशन—(1) इस अधिनियम द्वारा [1][केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को] प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं ।

(2) ऐसे सब नियम बन जाने पर शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि ऐसे प्रभावशील होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों ।

[2][(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

[3][(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

[4][**75. निरसन और व्यावृत्ति**—(1) यदि उस दिन के जिसको यह अधिनियम [5][उन राज्यक्षेत्रों में] प्रवृत्त होता है [5][जो पहली नवम्बर, 1956 के अव्यवहित पूर्व भाग ख राज्य में समाविष्ट थे] उस दिन के अव्यवहित पूर्व, [6][उन राज्यक्षेत्रों में] कोई विधि प्रवृत्त हो जो इस अधिनियम के तत्समान हो, तो ऐसी तत्समान विधि उस दिन निरसित हो जाएगी ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसी तत्समान विधि द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई है और ऐसी तत्समान विधि के अधीन उपगत किसी भी शास्ति या प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा, कि वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे उपगत शास्ति या प्रारम्भ की गई कार्यवाही है, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसी बात की गई थी, ऐसी कार्रवाई की गई थी, ऐसी शास्ति उपगत की गई थी या ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी ।]

अनुसूची 1

फीसों की दरें

[धाराएं 6(क) और 19(घ) देखिए]

	रु०
100 टन से कम के [7][यंत्रचालित जलयानों] के लिए	25
100 टन के और 200 टन तक के वाष्प जलयानों के लिए . . .	40
200 टन के और 350 टन तक के वाष्प जलयानों के लिए . . .	50
350 टन के और 700 टन के [7][वाष्प जलयानों] के लिए . . .	60
700 टन के और 1,000 टन तक के वाष्प जलयानों के लिए . . .	80
1,000 टन के और 1,500 टन तक के वाष्प जलयानों के लिए . . .	100
1,500 टन के और इससे अधिक के वाष्प जलयानों के लिए . . .	120

अनुसूची 2—**[अधिनियमितियां निरसित ।]** निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

———

[1] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 34 द्वारा (1-5-1978 से) "राज्य सरकार को" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 34 द्वारा (1-5-1978 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1951 के अधिनियम सं० 26 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित । मूल धारा 75, 1927 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित की गई थी ।
[5] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "उस राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1977 के अधिनियम सं० 35 की धारा 5 द्वारा (1-5-1978 से) "वाष्प जलयानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।